

स्नातकोत्तर कार्यक्रमों



के लिए
कॉमन सीट आबंटन

शैक्षणिक वर्ष
2024-25



दिल्ली विश्वविद्यालय

अस्वीकरण

दिल्ली विश्वविद्यालय का बिना किसी पूर्व सूचना के कॉमन सीट आवंटन प्रणाली स्नातकोत्तर - 2024 (सीएसएस(पीजी)-2024) के किसी भी हिस्से को अशोधित करने, संशोधित करने या हटाने का अधिकार सुरक्षित है। इस प्रकार किया गया कोई भी परिवर्तन दिल्ली विश्वविद्यालय (यूओडी) की प्रवेश वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। सीएसएस (पीजी)-2024 दस्तावेज़ जारी होने के बाद आवंटन नियमों में कोई भी परिवर्तन प्रवेश वेबसाइट www.admission.uod.ac.in पर पोस्ट किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

जहां तक संभव हो इस दस्तावेज़ में नियमों और विनियमों के प्रामाणिक, आधिकारिक संस्करण और अतिरिक्त प्रासंगिक जानकारी को पुनः प्रस्तुत करने का उचित ध्यान रखा गया है। तथापि, किसी भी स्थिति में इसे संदर्भ के रूप में प्रदान की गई जानकारी की पूर्णता और सटीकता के संबंध में व्यक्त या निहित वारंटी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रदत्त जानकारी के आधार पर कृत किसी भी कार्रवाई से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी दायित्व से इनकार करता है। प्रवेश वेबसाइट, पीजी बीओआई-2024 और सीएसएस(पीजी)-2024 दस्तावेज़ पर कोई भी त्रुटि अनजाने में हुई चूक और/या किसी अन्य कारण से हो सकती है। यह अस्वीकरण सीएसएस (पीजी)-2024 के प्रत्येक भाग पर लागू होगा, जिसमें वेबसाइट पर अधिसूचित और यहां संलग्न या निहित सभी अधिसूचनाएं, शुद्धिपत्र, संशोधन, परिशिष्ट और नियम शामिल हैं।

उम्मीदवार अपडेट, दिशानिर्देश, कार्यक्रम और प्रवेश-संबंधित नीतियों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट की नियमित जांच करने के लिए उत्तरदायी है।

सीएसएस (पीजी)-2024 के तहत प्रवेश के संबंध में कोई भी मुद्दा/विवाद केवल दिल्ली न्यायालयों के क्षेत्रीय और विषय वस्तु क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायित्व होगा।

स्नातकोत्तर (पीजी) प्रवेश-2024 के संबंध में अधिसूचना और अपडेट के लिए, कृपया www.admission.uod.ac.in देखें।

अध्याय 1	सामान्य जानकारी	5
अध्याय 2	कॉमन सीट आवंटन प्रणाली (सीएसएस(पीजी)-2024) के बारे में जानकारी	8
अध्याय 3	सीएसएस(पीजी)-2024 आवेदन-पत्र	10
अध्याय 4	कार्यक्रम चयन और वरीयता दाखिल करना	13
अध्याय 5	आवंटन नियम	16
अध्याय 6	सीट आवंटन एवं प्रवेश	15
अध्याय 7	आवंटन पश्चात दौर	18
अध्याय 8	अपग्रेड अथवा फ्रीज़	21
अध्याय 9	अनंतिम रूप से आवंटित सीट को निरस्त करना	23
अध्याय 10	अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश वापस लेना	24
अध्याय 11	मिड-एंटी	25
अध्याय 12	स्पॉट एडमिशन	26
अध्याय 13	टाई ब्रेकिंग नियम	27
अध्याय 14	शुल्क का प्रेषण	28
अध्याय 15	भुगतान वापसी नीति	30
अध्याय 16	मूल दस्तावेजों के साथ अपेक्षित दस्तावेजों का अनिवार्य सत्यापन	31
अध्याय 17	उत्तीर्ण स्थिति में परिवर्तन	32
अध्याय 18	शिकायत निवारण	33
अध्याय 19	निष्पादन/ऑडिशन/प्राैक्टिकल-आधारित कार्यक्रमों में प्रवेश: एम.ए.संगीत, बी.पी.एड, एम.पी.एड, एम.एफ.ए.	34
अध्याय 20	खेल सुपरन्युमेरी कोटा से प्रवेश	42
अध्याय 21	अन्य सुपरन्युमेरी कोटा से प्रवेश	48
	अनुबंध-I: बोर्डों की समतुल्यता	50
	अनुबंध-II: आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची	51
	अनुबंध-III: प्रमाण-पत्र प्रारूप	54

संकेताक्षरों की सूची

एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
एआईयू	भारतीय विश्वविद्यालय संघ
सीबीएसई	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सीएमएल	कॉमन मेरिट सूची
सी2एमएल	श्रेणी 2 मेरिट सूची
सीएसएस(पीजी)	कॉमन सीट आवंटन प्रणाली (स्नातकोत्तर)
सीयूईटी(पीजी)	कॉमन विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (स्नातकोत्तर)
सीडब्ल्यू	सशस्त्र बलों के कार्मिकों के बच्चे/विधवाएँ
डीयूएससी	दिल्ली विश्वविद्यालय खेल परिषद
ईडब्ल्यूएस	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
एमओई	शिक्षा मंत्रालय
एनसीडब्ल्यूईबी	गैर-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड
एनटीए	राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी
ओबीसी-एनसीएल	अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर-क्रीमी लेयर
पीडब्ल्यूबीडी	बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति
पीजी	स्नातकोत्तर
पीजी बीओआई	स्नातकोत्तर सूचना बुलेटिन
एससी	अनुसूचित जाति
एसटी	अनुसूचित जनजाति
यूओडी	दिल्ली विश्वविद्यालय
यूआर	अनारक्षित

अध्याय-1 सामान्य जानकारी

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अपने विभागों/केंद्रों/कॉलेजों के माध्यम से विभिन्न संकायों, अर्थात् कला, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी, शिक्षा, अंतःविषयक और अनुप्रयुक्त विज्ञान, संगीत और ललित कला, वाणिज्य और व्यावसायिक अध्ययन, कानून, चिकित्सा विज्ञान, गणितीय विज्ञान, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के तहत अध्ययन की विभिन्न विधाओं में स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं।

सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट, सूचना के स्नातकोत्तर बुलेटिन-2024 (पीजी-बीओआई) और कॉमन सीट आवंटन प्रणाली (स्नातकोत्तर)-2024 (सीएसएस) पीजी)-2024) पर निर्दिष्ट पात्रता मानदंड और प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है।

स्नातकोत्तर स्तर पर प्रस्तावित प्रत्येक कार्यक्रम के लिए पात्रता मानदंड स्नातकोत्तर सूचना बुलेटिन 2024-25 (पीजी बीओआई-2024-25) (विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट www.admission.uod.ac.in पर उपलब्ध) में प्रकाशित किए गए हैं। उम्मीदवारों को पीजी बीओआई-2024 और प्रवेश वेबसाइट से पात्रता मानदंड की सावधानीपूर्वक जांच कर लेनी चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट, पीजी बीओआई-2024 और दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित सीएसएस (पीजी)-2024 के माध्यम से निर्धारित मानदंडों के अलावा कोई अतिरिक्त पात्रता मानदंड नहीं हैं।

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश केवल कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर 2024 (सीयूईटी (पीजी)-2024) के आधार पर किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉमन सीट आवंटन प्रणाली (पीजी)-2024 के माध्यम से छात्रों को प्रवेश देना दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों और विभागों के लिए बाध्यकारी है।

1. सीयूईटी (पीजी)-2024 का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा किया जाता है। उम्मीदवार ध्यान दें कि एनटीए की भूमिका सीयूईटी (पीजी)-2024 के संचालन, परिणामों की घोषणा और प्रवेश परीक्षा से संबंधित प्रश्नों से निपटने तक सीमित है। केवल सीयूईटी (पीजी)-2024 में शामिल होना दिल्ली विश्वविद्यालय में सीट सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त शर्त नहीं होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए, उम्मीदवार को सीएसएस (पीजी)-2024 में आवेदन करना होगा।
2. सीएसएस (पीजी)-2024, जैसा लागू हो, दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी विभागों/कॉलेजों के सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकल खिड़की के रूप में काम करेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कार्यक्रम में प्रवेश लेने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को केवल सीएसएस (पीजी)-2024 के माध्यम से आवेदन करना होगा। केवल दिल्ली विश्वविद्यालय (सीएसएस (पीजी)-2024) के आधिकारिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लिए गए और दिए गए प्रवेश ही वैध माने जाएंगे।
3. आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे पीजी बीओआई-2024 और सीएसएस(पीजी)-2024 को ध्यान से पढ़ें, और दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922, इसके

संशोधनों और कानूनों को देखें। विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.du.ac.in पर उपलब्ध दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश, नियम, विनियम और अधिसूचनाएं अंतिम और बाध्यकारी होंगी।

4. दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी विशेष कार्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड और कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड और सीयूईटी (पीजी)-2024 टेस्ट पेपर के लिए पीजी बीओआई-2024 का उल्लेख करना होगा।

सलाह
उम्मीदवारों को प्रवेश वेबसाइट (admission.uod.ac.in) पर उपलब्ध प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) अवश्य जांच लेने चाहिए।
5. उम्मीदवार को दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित कार्यक्रमों की सूची, कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड, सीट मैट्रिक्स, शुल्क संरचना और अन्य प्रासंगिक जानकारी देख लेनी चाहिए।
6. दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पात्रता का निर्धारण और दस्तावेजों का सत्यापन दिल्ली विश्वविद्यालय का एकमात्र अधिकार क्षेत्र होगा।
7. केवल वही उम्मीदवार जिसने सीयूईटी (पीजी)-2024 परीक्षा दी है और न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, सीएसएस (पीजी)-2024 के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।
8. उम्मीदवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के सीएसएस (पीजी)-2024 पोर्टल (<https://pgadmission.uod.ac.in>) पर ऑनलाइन आवेदन करना और यथा लागू, प्राथमिकताएं भरना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से जमा किया गया आवेदन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए सीट आवंटन पूरी तरह से सीयूईटी (पीजी)-2024 में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा।
10. निष्पादन/प्राैक्टिकल/ऑडिशन/खेल दक्षता आधारित कार्यक्रमों और खेल सुपरन्यूमेरी कोटा में सीटों के आवंटन के लिए, सीयूईटी (पीजी)-2024 और निष्पादन/प्राैक्टिकल/ऑडिशन/खेल दक्षता परीक्षण/परीक्षण और/या प्रमाण-पत्र का संयुक्त स्कोर विचार किया जाएगा।
11. प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित सीएसएस (पीजी)-2024 मेरिट सूची का दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी विभागों/केंद्रों/कॉलेजों द्वारा, जैसा लागू हो, पालन किया जाएगा।
12. यदि सुपरन्यूमेरी कोटे की सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन्हें किसी अन्य श्रेणी में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
13. उम्मीदवारों को प्रवेश से संबंधित सभी संचार और अपडेट के लिए अपने डैशबोर्ड, ईमेल और प्रवेश वेबसाइट (www.admission.uod.ac.in) देखने की सलाह दी जाती है।
14. सीटें बेहतर ढंग से भरने के लिए, विश्वविद्यालय समय-समय पर वैकल्पिक प्रवेश प्रक्रियाएँ तैयार कर सकता है। इसकी घोषणा विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट पर की जाएगी।
15. प्रवेश दिशानिर्देशों, अनुसूची, पात्रता मानदंड और सीएसएस (पीजी)-2024 नियमों के बारे में

उम्मीदवार की जागरूकता की कमी के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। यह उम्मीदवार का एकमात्र उत्तरदायित्व है कि वह दिल्ली विश्वविद्यालय के डैशबोर्ड, ईमेल और प्रवेश वेबसाइट को नियमित रूप से देखता रहे।

16. प्रवेश अपेक्षाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, जिसमें प्रासंगिक दस्तावेज जमा न करना और/या निर्धारित तिथि और समय के भीतर शुल्क का भुगतान न करना शामिल है, उम्मीदवार को प्रवेश का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

17. उम्मीदवार को विश्वविद्यालय/विभाग/केंद्र/कॉलेज द्वारा सूचित किए जाने पर मूल दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

18. किसी भी आरक्षित श्रेणी (पीडब्ल्यूबीडी, सीडब्ल्यू और अनाथ सहित) के तहत आरक्षण का दावा करने के लिए अपनी पात्रता साबित करना उम्मीदवार का एकमात्र उत्तरदायित्व है। एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/सीडब्ल्यू/पीडब्ल्यूबीडी/अनाथ श्रेणियों के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित आरक्षित श्रेणी/उप-श्रेणी के प्रमाण-पत्र/दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

19. यदि किसी भी स्तर पर, प्रवेश से संबंधित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकली/गैर-प्रमाणित और/या मनगढ़ंत या किसी अन्य तरीके से दोषपूर्ण पाए जाते हैं, तो ऐसे उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और यदि पहले ही प्रवेश ले लिया है, तो प्रवेश इस संबंध में बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा। यदि कार्यक्रम पूरा करने के बाद भी ऐसा पाया जाता है, तो उसकी डिग्री निरस्त कर दी जाएगी, और उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

20. प्रवेश प्रक्रिया में उम्मीदवार की भागीदारी अनंतिम होगी। यदि, किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि पात्रता अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई हैं, तो प्रवेश, यदि दिया गया है, तो वास्तव में निरस्त कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार बाद में अयोग्य पाया जाता है तो विश्वविद्यालय शुल्क वापस नहीं करेगा।

21. विश्वविद्यालय का दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी उम्मीदवार का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

सलाह

प्रवेश संबंधी किसी भी प्रश्न के लिए, उम्मीदवार चैटबॉट्स तक पहुंच सकते हैं, हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं, और/या पीजी helpdesk - pg@admission.du.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं।

विवरण प्रवेश वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अध्याय-2

कॉमन सीट आवंटन प्रणाली (सीएसएस(पीजी)-2024) के बारे में जानकारी

1. शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए आवंटन-सह-प्रवेश सीएसएस (पीजी)-2024 दस्तावेज़ के माध्यम से होगा और पीजी बीओआई-2024 में उल्लिखित पात्रता अपेक्षाओं और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित अन्य नियमों के आधार पर होगा।
2. यहां कथित सीएसएस (पीजी)-2024 नियम शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अनंतिम प्रवेश के लिए लागू होंगे।
3. सीएसएस (पीजी)-2024 के माध्यम से प्रवेश पाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अर्थात <https://pgadmission.uod.ac.in> उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को सीएसएस (पीजी)-2024 आवेदन-पत्र केवल इस माध्यम से ऑनलाइन भरना होगा सीएसएस (पीजी)-2024 आवेदन-पत्र ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा।
4. एक बार सीएसएस (पीजी)-2024 आवेदन-शुल्क (गैर-वापसी) होगा:

उम्मीदवार की श्रेणी	सीएसएस (पीजी)-2024 आवेदन-शुल्क (गैर-वापसी)
यूआर/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस	₹. 250.00 (दो सौ पचास रुपये मात्र) प्रति कार्यक्रम
एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी	₹. 100.00 (सौ रुपये मात्र) प्रति कार्यक्रम

खेल सुपरन्यूमेरी कोटा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 100.00 (सौ रुपये मात्र) रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

निष्पादन/ऑडिशन/प्राैक्टिकल/खेल दक्षता आधारित कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार अर्थात जो बी.पी.एड, एम.पी.एड, एम.ए. संगीत एम.एफ.ए. को 400.00 (केवल चार सौ रुपये) प्रति कार्यक्रम रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

सलाह

उम्मीदवारों को सीएसएस (पीजी)-2024 आवेदन-पत्र भरने के लिए अंतिम दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

5. सीएसएस (पीजी)-2024 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को एनटीए द्वारा आयोजित सीयूईटी (पीजी)-2024 देनी होगी।

6. किसी विशेष कार्यक्रम के लिए आवेदन प्रक्रिया उस विशेष कार्यक्रम के लिए सीएसएस (पीजी)-2024 आवेदन-शुल्क की वसूली के बाद ही पूरी मानी जाएगी। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन-शुल्क प्रत्येक इच्छुक कार्यक्रम के लिए जमा किया गया है। सीएसएस (पीजी)-2024 पोर्टल (pgadmission.uod.ac.in) आवेदन-शुल्क स्वीकार करने

सलाह

फॉर्म को डेस्कटॉप/लैपटॉप के माध्यम से भरने की सलाह दी जाती है। मोबाइल फोन का उपयोग करके फॉर्म भरने से बचें।

वाला एकमात्र पोर्टल है। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए भुगतान लिंक के अलावा किसी अन्य लिंक या मोड के माध्यम से जमा किए गए सीएसएस (पीजी)-2024 आवेदन-शुल्क पर किसी भी

परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। सीएसएस (पीजी)-2024 आवेदन-शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

7. उम्मीदवार को उस कार्यक्रम (कार्यक्रमों) के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है। उसे पीजी बीओआई-2024 में प्रकाशित कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता को पूरा करने वाले प्रासंगिक टेस्ट पेपर में सीयूईटी (पीजी)-2024 भी देनी होगी।
8. यदि किसी उम्मीदवार ने सीएसएस (पीजी)-2024 में आवेदन किया है, लेकिन पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है और/या विशेष कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार सीयूईटी (पीजी) 2024 में उपस्थित नहीं हुआ है, तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
9. यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं और उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो आवंटित सीट को विभाग/केंद्र/कॉलेज द्वारा अनंतिम रूप से अनुमोदित की जाएगी। उस स्थिति में, उम्मीदवार को निर्धारित समय में प्रवेश शुल्क का भुगतान करके अनुमोदित आवंटित सीट पर प्रवेश लेना होगा।
10. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि दुरुपयोग से बचने के लिए लॉग-इन क्रेडेंशियल, अर्थात् लॉगिन आईडी और पासवर्ड को गोपनीय रखें। एक बार बनाए गए लॉगिन क्रेडेंशियल को किसी भी परिस्थिति में बदला/संपादित नहीं किया जा सकता है।
11. उम्मीदवार को सीएसएस (पीजी)-2024 के सभी आवंटन और प्रवेश राउंड की निर्धारित समय-सीमा का पालन करना होगा।
12. जिस उम्मीदवार के दस्तावेज जानबूझकर जालसाजी/धोखाधड़ी के कृत्य के कारण अमान्य पाए जाएंगे, उन्हें सीएसएस (पीजी)-2024 से बाहर कर दिया जाएगा।

सलाह

शुल्क और शुल्क छूट नियमों (यदि कोई हो) के बारे में जानकारी के लिए उम्मीदवारों को विभिन्न विभाग/केंद्र/कॉलेज की वेबसाइट देखनी चाहिए।

कॉमन सीट आवंटन प्रणाली (पीजी)-2024 में शामिल हैं:

दिल्ली विश्वविद्यालय में आवेदन करना

प्राथमिकता-भरना

आवंटन-सह-प्रवेश

अध्याय-3

सीएसएस(पीजी)-2024 आवेदन-पत्र

उम्मीदवारों सलाह दी जाती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का सीएसएस फॉर्म (<https://pgadmission.uod.ac.in>) भरने से पहले पीजी बीओआई-2024 और सीएसएस (पीजी)-2024 पढ़ ले।

सीयूईटी (पीजी)-2024 सीएसएस (पीजी)-2024 पर पंजीकरण के लिए आवेदन संख्या अनिवार्य होगी। सीयूईटी (पीजी)-2024 पोर्टल से उम्मीदवार का नाम, हस्ताक्षर और फोटो स्वतः एकीकृत हो जाएगा। इस फ़ील्ड को संपादित करना संभव नहीं होगा।

आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को सभी आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों की एक प्रति अपने कंप्यूटर/लैपटॉप पर स्कैन करके रखनी होगी। (आवश्यक दस्तावेजों की सूची के लिए अनुबंध II देखें)।

सीएसएस आवेदन-पत्र एक 3-चरणीय प्रक्रिया है:

चरण 01: संपूर्ण प्रोफाइल

चरण 02: कार्यक्रम/कार्यक्रमों में आवेदन करें

चरण 03: प्रत्येक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण शुल्क का भुगतान करें

3.1: नया पंजीकरण

नए उपयोगकर्ता को "नया पंजीकरण" लिंक पर क्लिक करके सीएसएस (पीजी) में पंजीकरण करना होगा।

सीएसएस (पीजी)-2024 के लिए पंजीकरण करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित विवरण दर्ज करना होगा:

1. सीयूईटी (पीजी)-2024 आवेदन संख्या
2. नाम (सीयूईटी (पीजी)-2024 के अनुसार)
3. जन्म तिथि (सीयूईटी (पीजी)-2024 के अनुसार)
4. ईमेल आईडी
5. फ़ोन नंबर

उम्मीदवार का आवेदन नंबर, नाम और जन्मतिथि सीयूईटी (पीजी)-2024 में उल्लिखित के अनुरूप होनी चाहिए। इन फ़ील्ड का उपयोग उम्मीदवारों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए किया जाएगा।

सफल पंजीकरण के लिए, उम्मीदवारों को अपनी ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करना होगा।

सलाह

उम्मीदवार को सीएसएस (पीजी) 2024 आवेदन-पत्र को अत्यंत सावधानी से भरना होगा क्योंकि फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद संपादन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सलाह

उम्मीदवारों को अपना लॉगिन विवरण, जैसे सीयूईटी (पीजी)-2024 पंजीकरण संख्या, ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रखना चाहिए।

सफल पंजीकरण पर, उम्मीदवार को सीएसएस (पीजी)-2024 आवेदन-पत्र को पूरा करने के लिए अपने डैशबोर्ड पर लॉग इन करना होगा।

3.2: प्रोफाइल भाग

प्रोफाइल भाग में, उम्मीदवारों को अपना व्यक्तिगत विवरण प्रदान करना होगा। दर्ज किए गए विवरण उम्मीदवार के प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों में उल्लिखित विवरणों से मेल खाने चाहिए। बेमेल/विसंगतियों के कारण किसी भी स्तर पर सीएसएस (पीजी)-2024 आवेदन-पत्र को अस्वीकार किया जा सकता है।

उम्मीदवारों को अपना प्रोफाइल सावधानीपूर्वक भरना होगा।

जिस उम्मीदवार ने सीयूईटी (पीजी)-2024 में पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी का विकल्प चुना था, उसे सीएसएस (पीजी)-2024 में अपनी श्रेणी बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि उसने सीयूईटी (पीजी)-2024 के दौरान पीडब्ल्यूबीडी लाभ (जैसे प्रतिपूरक समय और लेखक प्रावधान) का लाभ उठाया होगा।

उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा भरे गए बैंक खाते के विवरण वैध हैं और उम्मीदवार या उसके तत्काल परिवार के सदस्यों के हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा रिफंड (यदि कोई हो) केवल इसी खाते में किया जाएगा। संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी भी परिस्थिति में बैंक खाते के विवरण में परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

एक बार फॉर्म जमा हो जाने के बाद, निम्नलिखित व्यक्तिगत विवरण नहीं बदले जाएंगे:

क. माता-पिता का नाम

ख. श्रेणी/उप-श्रेणी/जाति/सुपरन्यूमरी

ग. लिंग

घ. ईमेल आईडी

ड. मोबाइल नंबर

च. बैंक विवरण

केवल एनसीटी दिल्ली में रहने वाली महिला उम्मीदवार एनसीडब्ल्यूईबी, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र होंगी। आवेदन करते समय उम्मीदवार के नाम का निवास प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा। यह वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड (उम्मीदवार के नाम के साथ) हो सकता है। एनसीडब्ल्यूईबी से संबंधित विवरण के लिए <https://ncweb.du.ac.in> देखें

3.3: खेल अनुभाग

खेल सुपरन्यूमरी कोटा के आधार पर प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार अधिकतम तीन खेलों/खेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार केवल 01 मई 2021 से 30 अप्रैल 2024 के बीच जारी पिछले तीन वर्षों के अधिकतम तीन मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाण-पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां अपलोड कर सकते हैं। (विवरण के लिए अध्याय 20 देखें)।

3.4: अपलोड

उम्मीदवार को अपेक्षित प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/सीडब्ल्यू/पीडब्ल्यूबीडी/अनाथ के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार का नाम संबंधित योग्यता प्रमाण-पत्रों और सीयूईटी (पीजी)-2024 में दिखाई देने वाले नाम से मेल खाना चाहिए। इसी तरह, माता-पिता के नाम प्रमाण-पत्रों में मिलान होना चाहिए।

सलाह
उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड किए गए प्रमाण-पत्र दृश्यमान और पठनीय हों।

अपलोड किए गए प्रमाण-पत्रों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता के लिए उम्मीदवार उत्तरदायी होगा। उसे यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए कि अपलोड किए गए दस्तावेज/प्रमाण-पत्र प्रामाणिक और सटीक हों।

यदि कोई गलत सत्यापन/फर्जी रिकॉर्ड पाया जाता है, तो उम्मीदवार को विश्वविद्यालय और/या उसके कॉलेजों से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और उम्मीदवार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में कोई फीस वापस नहीं की जाएगी।

सलाह
उम्मीदवारों को नवीनतम दस्तावेज/प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा। भौतिक सत्यापन के दौरान भी इसकी आवश्यकता होगी।

प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की अपूर्ण/अनुपलब्धता के बदले में कोई भी वचन-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3.6: पूर्वावलोकन

उम्मीदवार अपने द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन करने में सक्षम होगा। यदि आवश्यक हो तो उम्मीदवार के पास संपादन/परिवर्तन करने का विकल्प होगा।

कार्यक्रम चयन के अगले भाग पर आगे बढ़ने से पहले उम्मीदवार को अपने द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

एक बार आवेदन-पत्र लॉक हो जाने और सफलतापूर्वक सबमिट हो जाने के बाद प्रोफाइल भाग में कोई परिवर्तन/संपादन/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.7: सबमिट करें और लॉक करें

एक बार प्रोफाइल भाग बन जाने और दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद, उम्मीदवार को "सबमिट करें और लॉक करें" पर क्लिक करके अपने व्यक्तिगत विवरण की पुष्टि करनी होगी। एक बार प्रोफाइल की पुष्टि और लॉक हो जाने के बाद, किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अध्याय-4

कार्यक्रम चयन और वरीयता दाखिल करना

आवंटन और प्रवेश के लिए, उम्मीदवार को कार्यक्रम/विभागों/विभाग/केंद्र/कॉलेज की पसंद का चयन करना होगा जिसमें वह प्रवेश लेगा, यदि पेशकश की जाती है।

4.1 : कार्यक्रम-भाग

एक उम्मीदवार केवल उन्हीं कार्यक्रमों के लिए आवेदन करेगा जिनके लिए वह सीयूईटी (पीजी)-2024 टेस्ट पेपर देने का पात्र है।

उम्मीदवार को उस स्नातकोत्तर कार्यक्रम का चयन करना होगा जिसमें वह सीयूईटी (पीजी)-2024 में शामिल हुआ हो और सीएसएस (पीजी)-2024 के माध्यम से आवंटित होने पर प्रवेश लेने का इच्छुक हो।

कार्यक्रम/कार्यक्रमों का चयन करते समय उम्मीदवार को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। केवल उम्मीदवार द्वारा चयनित कार्यक्रमों पर ही आवंटन के लिए विचार किया जाएगा।

4.2: पात्रता की पुष्टि

उम्मीदवार को कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता की पुष्टि करनी होगी (विवरण के लिए सूचना बुलेटिन-पीजी-2024 देखें)। उम्मीदवार की मेरिट उसके द्वारा चयनित कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

सलाह

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शैक्षणिक विवरण भरते समय अत्यधिक सावधानी बरतें, क्योंकि वे टाई तोड़ने का आधार बन जाएंगे।

4.3: प्राथमिकताएँ प्रदान करना

जिन कार्यक्रमों के लिए उम्मीदवार ने चयन किया है, उनमें उसे विभाग/कॉलेज प्राथमिकताओं (एनसीडब्ल्यूईबी सहित, यदि लागू हो) का चयन करना होगा।

उम्मीदवार को प्राथमिकता क्रम देते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह सीट के आवंटन का निर्धारण करेगा (आवंटन नियमों के लिए अध्याय 5 देखें)।

सलाह

प्राथमिकताएँ क्रमित करते समय जल्दबाजी न करें। धैर्य रखें और पीजी बीओआई-2024 में दिए गए कार्यक्रमों के पात्रता मानदंडों को ध्यान से पढ़ें।

यदि उम्मीदवार चाहे तो उस विशेष कार्यक्रम के लिए शुल्क जमा करने से पहले चयनित संयोजनों की प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित कर सकता है।

अधिकतम संख्या में प्राथमिकताएँ भरना उम्मीदवार के सर्वोत्तम हित में है।

4.4: शैक्षणिक अनुभाग

शैक्षणिक भाग में, उम्मीदवार स्नातक/स्नातकोत्तर/योग्यता डिग्री या समकक्ष का विवरण प्रदान करेगा जो संबंधित कार्यक्रम के लिए उसकी पात्रता निर्धारित करता है।

योग्यता डिग्री में प्राप्त प्रतिशत अवश्य बताया जाना चाहिए। "उपस्थित/उपस्थित" होने की स्थिति में, अंतिम सेमेस्टर परीक्षा तक का औसत प्रतिशत प्रदान किया जाना चाहिए। यदि योग्यता डिग्री में अंक सीजीपीए में हैं, तो उम्मीदवार को उस विश्वविद्यालय के सीजीपीए रूपांतरण नियमों के अनुसार सीजीपीए

को समकक्ष प्रतिशत में परिवर्तित करना होगा, जहां से योग्यता डिग्री प्राप्त की गई है।

उम्मीदवार को प्रत्येक सत्र का चयन करना होगा जिसमें वह योग्यता परीक्षा में शामिल हुआ/उत्तीर्ण हुआ है। प्रत्येक सेमेस्टर (वर्ष, उन उम्मीदवारों के लिए जो वार्षिक मोड में उपस्थित हुए थे) के प्रतिशत अंक अलग से दर्ज करें।

अंकों का प्रतिशत दो-दशमलव स्थानों तक दर्ज किया जाना चाहिए। प्रतिशत को पूर्णांकित करने की अनुमति नहीं है। अंकों का उपयोग टाई-ब्रेकिंग के उद्देश्य से किया जाएगा।

4.5 चयनित कार्यक्रम के लिए प्राथमिकताओं की पुष्टि

उम्मीदवार को अपने आवेदन का सावधानीपूर्वक पूर्वावलोकन करना चाहिए। उसे सभी विवरणों की जांच करनी चाहिए और संतुष्ट होने पर, उसे संबंधित कार्यक्रम/कार्यक्रमों के लिए भुगतान करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। एक बार किसी विशेष कार्यक्रम के लिए शुल्क का भुगतान करने के बाद, उम्मीदवार उस विशेष कार्यक्रम के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकताओं को संपादित/जोड़/हटा नहीं सकेगा।

सबमिट करने से पहले, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राथमिकताओं का क्रम उसकी पसंद के अनुसार है। **फॉर्म जमा करने के बाद वरीयता सूची में संपादन की अनुमति नहीं होगी।**

एक उम्मीदवार केवल उन्हीं कार्यक्रमों के लिए आवंटन में भाग लेने के लिए पात्र होगा जिनके लिए भुगतान निर्धारित समय के भीतर सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है। शुल्क का भुगतान केवल उम्मीदवार के डैशबोर्ड पर दिए गए पेमेंट गेटवे लिंक के माध्यम से किया जाना चाहिए। सीएसएस (पीजी)-2024 आवेदन-शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्पन्न ऑनलाइन लिंक के अलावा उम्मीदवारों के लिए कोई अन्य तरीका उपलब्ध नहीं है। यदि आवेदन-शुल्क सफलतापूर्वक जमा नहीं किया जाता है, तो किसी भी परिस्थिति में आवेदन पर आवंटन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

4.6: कार्यक्रम-विशिष्ट अपलोड और भुगतान

उम्मीदवारों को प्रत्येक कार्यक्रम के लिए चयनित पात्रता मानदंड के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतिम संस्थान द्वारा जारी माइग्रेशन सर्टिफिकेट/अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट/आईडी कार्ड जमा करना होगा।

जिन उम्मीदवारों के परिणाम सीएसएस (पीजी) 2024 की घोषणा पर घोषित नहीं किए गए हैं, उन्हें न्यूनतम पात्रता मानदंड (दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजी-बीओआई 2024-25 में बताए गए) को पूरा करने का एक वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा, अर्थात् अक्टूबर 2024 से पहले योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करना।

उम्मीदवारों को चयनित कार्यक्रम/कार्यक्रमों के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।

सलाह

2022-2023 तक दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले छात्रों के लिए अंकों का अंतिम प्रतिशत (%) की गणना ग्रैंड सीजीपीए (संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत) को 10 के कारक से गुणा करके की जाएगी।

सलाह

अंतिम समय की किसी भी जल्दबाजी से बचने के लिए उम्मीदवारों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन-शुल्क का भुगतान करना होगा।

सभी भुगतानों के लिए, उम्मीदवारों को इनमें से किसी भी भुगतान मोड का उपयोग करना चाहिए: नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई।

सलाह

सीएसएस (पीजी)-2024 आवेदन-शुल्क के सफल भुगतान पर, उम्मीदवारों को भविष्य के संदर्भ के लिए प्रमाण के रूप में लेनदेन विवरण का रिकॉर्ड रखने की सलाह दी जाती है।

अध्याय-5 आवंटन नियम

1. अनंतिम सीट आवंटन के संदर्भ में, 'आवंटित सीट' कार्यक्रम + विभाग/केंद्र/कॉलेज के एक अद्वितीय संयोजन को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, "एम.ए. इतिहास विभाग में इतिहास"को 'आवंटित सीट' कहा जाता है।
2. प्रत्येक कार्यक्रम के लिए, जहां भी लागू हो, सूची की दो श्रेणियां होंगी: सामान्य मेरिट सूची, श्रेणी 2 मेरिट सूची।
3. आवंटन के लिए, सभी उम्मीदवारों पर कॉमन मेरिट लिस्ट (सीएमएल) में विचार किया जाएगा। तथापि, श्रेणी 2 मेरिट सूची (सी2एमएल) के लिए केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों पर कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता के अनुसार विचार किया जाएगा।
4. निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करते हुए उम्मीदवार को उच्चतम संभव वरीयता अनंतिम रूप से आवंटित की जाएगी:
 - क. कार्यक्रम-आधारित मेरिट सूची।
 - ख. सामाजिक श्रेणी (यूआर/ओबीसी-एनसीएल/एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस)।
 - ग. सीटों की उपलब्धता।
 - घ. इस दस्तावेज़ (सीएसएस (पीजी)-2024), पीजी बीओआई-2024, या दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित कोई अन्य आवंटन नियम, नीतियां या मानदंड।
5. अनारक्षित श्रेणी की सीटों के लिए मेरिट सूची में मेरिट के क्रम में सभी उम्मीदवार शामिल होंगे। किसी को भी इससे बाहर नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, अनारक्षित (यूआर) श्रेणी के लिए मेरिट सूची में एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार भी शामिल होंगे, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों, यदि वे यूआर श्रेणी के लिए मेरिट के मानदंड को पूरा करते हैं। किसी भी उम्मीदवार को यूआर श्रेणी की मेरिट सूची से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं किया जा सकता क्योंकि उम्मीदवार एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित है या उसने इसके तहत आवेदन किया है। श्रेणी/जाति के आधार पर भेदभाव पूरी तरह से गैरकानूनी है। दिल्ली विश्वविद्यालय इस आधार पर किसी भी उम्मीदवार/छात्र के खिलाफ भेदभाव बर्दाश्त नहीं करता है। किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
6. यदि एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/सीडब्ल्यू श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के पास सीएसएस (पीजी)-2024 के लिए आवेदन करते समय संबंधित जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण-पत्र/दस्तावेज नहीं है, तो वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। दावे के अनुसार संबंधित श्रेणी में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। (श्रेणी प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से संबंधित विवरण प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए हैं)।
7. यदि किसी विशेष कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले पात्र एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों की कुल संख्या पूरी

हो जाती है, तो उस विशेष कार्यक्रम के लिए इस श्रेणी के तहत शेष सीटें पात्र एससी श्रेणी के उम्मीदवारों और विलोमतः आवंटित की जाएंगी।

8. यदि किसी उम्मीदवार को किसी आरक्षित श्रेणी/उप-श्रेणी के तहत सीट आवंटित की गई थी और उसे श्रेणी/उप-श्रेणी/जाति दस्तावेजों में कमी के आधार पर निरस्त कर दिया गया था, तो अगले दौर में (यदि कोई हो) यूआर श्रेणी में उसकी पात्रता, मेरिट और यूआर में सीटों की उपलब्धता के अनुसार सीट आवंटन के लिए विचार किया जा सकता है।

अध्याय-6 सीट आवंटन एवं प्रवेश

मेरिट सूची की घोषणा होने पर, उम्मीदवार को सूची/सूचियों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और यदि पेशकश की जाती है, तो आवंटित सीट की स्वीकृति के लिए अपने सीएसएस (पीजी)-2024 डैशबोर्ड पर लॉग इन करना चाहिए।

यह उम्मीदवार की उत्तरदायित्व है कि वह डैशबोर्ड पर लॉग इन करें और जांचें कि सीट आवंटन के दिए गए दौर में सीट आवंटित की गई है या नहीं, और यदि आवंटित हो तो उसे सभी प्रवेश औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

6.1 : अनंतिम रूप से आवंटित सीट की स्वीकृति

एक बार किसी विशेष दौर में सीट आवंटित हो जाने के बाद, उम्मीदवार को दिए गए आवंटन दौर के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि/समय से पहले आवंटित सीट को 'स्वीकार' करना होगा। किसी विशेष आवंटित सीट की स्वीकृति का प्रावधान केवल उस दौर के लिए मान्य होगा जिसमें सीट उम्मीदवार को आवंटित की गई थी।

यदि किसी उम्मीदवार को किसी विशेष दौर में कई सीटों की पेशकश की जाती है, तो उसे "स्वीकार" करना होगा और केवल एक आवंटित सीट पर प्रवेश लेना होगा।

निष्क्रियता/कोई कार्रवाई न करने को आवंटित सीट की गैर-स्वीकृति के रूप में माना जाएगा। इसे अनंतिम रूप से आवंटित सीट में नकारना माना जाएगा और उम्मीदवार अब सीएसएस (पीजी)-2024 के बाद के राउंड में भाग नहीं ले पाएंगे।

6.2 : विभाग/केंद्र/कॉलेज द्वारा ऑनलाइन अनुमोदन

एक बार जब उम्मीदवार अनंतिम रूप से आवंटित सीट को "स्वीकार" कर लेता है, तो संबंधित विभाग/केंद्र/कॉलेज उम्मीदवार द्वारा अपलोड की गई पात्रता और दस्तावेजों की जांच करेगा। विभाग/केंद्र/कॉलेज निर्धारित समय-सीमा के भीतर निम्नलिखित का सत्यापन करेगा:

1. उम्मीदवार की न्यूनतम पात्रता (जैसा कि पीजी बीओआई-2024 में उल्लिखित है)।
2. उम्मीदवार की कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता (जैसा कि पीजी बीओआई-2024 में उल्लिखित है)।
3. सीयूईटी (पीजी)-2024 विवरण
4. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों की वैधता और प्रामाणिकता।

ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई विभाग/केंद्र/कॉलेज उम्मीदवार से अधिक स्पष्टता/जानकारी चाहता है, तो वह उम्मीदवार से एक प्रश्न पूछ सकता है (धारा 6.3 देखें)।

सलाह

उम्मीदवारों को प्रवेश के लिए गतिविधियों की अनुसूची की जांच करनी चाहिए, जो दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट (admission.uod.ac.in) पर उपलब्ध है।

सलाह

बाद के राउंड में भाग लेने के लिए, उम्मीदवार को उसे आवंटित सीट स्वीकार करनी होगी।

सत्यापन के बाद, विभाग/केंद्र/कॉलेज उम्मीदवार की अनंतिम रूप से आवंटित सीट को या तो 'अनुमोदन' करेगा या 'अस्वीकार' करेगा। विभाग/केंद्र/कॉलेज द्वारा कोई भी आवेदन बिना विचार किए नहीं छोड़ा जाएगा।

अनुमोदन के मामले में:

एक बार जब विभाग/केंद्र/कॉलेज मंजूरी दे देता है, तो उम्मीदवार को 'प्रवेश शुल्क' का भुगतान करना होगा (धारा 6.4 देखें)।

अस्वीकृति के मामले में:

ऑनलाइन सत्यापन के समय, यदि कोई आवेदन निरस्त हो जाता है, तो विभाग/केंद्र/कॉलेज अस्वीकृति का कारण बताएगा। किसी आवेदन को अस्वीकार करने के लिए, विभाग/केंद्र/कॉलेज निम्नलिखित कारणों में से कोई एक कारण बताएगा:

1. अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम पात्रता पूरी न करना।
2. अभ्यर्थी द्वारा कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता पूरी न करना।
3. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत अमान्य दस्तावेज़/प्रमाण-पत्र।
4. निर्धारित समय के भीतर विभाग/केंद्र/कॉलेज द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने में विफलता।

6.3 : अनुमोदन के दौरान प्रश्नों (यदि कोई हो) का उत्तर देना

ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई विभाग/केंद्र/कॉलेज कोई प्रश्न करता है तो उम्मीदवार को निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन (उम्मीदवार के डैशबोर्ड के माध्यम से) उत्तर देना होगा। प्रश्नों का उत्तर देने में विफलता पर आवंटित सीट को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उम्मीदवार सीएसएस (पीजी)-2024 से बाहर हो जाएगा।

सलाह
उम्मीदवारों को नियमित रूप से अपने डैशबोर्ड की जांच करनी चाहिए और निर्धारित समय के भीतर विभाग/केंद्र/कॉलेज द्वारा किए गए प्रश्नों (यदि कोई हो) का उत्तर देना चाहिए।

6.4 : अनंतिम रूप से आवंटित सीट पर प्रवेश

विभाग/केंद्र/कॉलेज द्वारा अनुमोदन के बाद, उम्मीदवार को अनुमोदित सीट के लिए प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा। प्रवेश शुल्क के सफल भुगतान के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी।

यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय में प्रवेश शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, तो इसे अनंतिम रूप से आवंटित सीट को निरस्त माना जाएगा। आवंटित सीट जब्त कर ली जाएगी

सलाह
उम्मीदवारों को भुगतान समय पर करना चाहिए और अंतिम तिथि की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए।

और उम्मीदवार को किसी भी बाद के सीएसएस (पीजी)-2024 आवंटन राउंड के लिए विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार आवंटित सीट के सभी अधिकार खो देंगे और किसी भी बाद के सीएसएस (पीजी)-2024 आवंटन राउंड के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

अध्याय-7 आवंटन पश्चात दौर

अस्वीकृति, निरस्तीकरण और वापसी के कारण उत्पन्न होने वाली सीटों की उपलब्धता के आधार पर, विश्वविद्यालय कई आवंटन राउंड की घोषणा कर सकता है।

सीएसएस (पीजी)-2024 के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार सभी आवंटन राउंड के लिए पात्र होंगे, सिवाय उन लोगों को छोड़कर जिनकी आवंटित सीट/प्रवेश किसी भी कारण से निरस्त कर दिया गया है।

सभी प्रवेशित उम्मीदवार जो किसी विशेष राउंड में "अपग्रेड" विकल्प (अध्याय 8 देखें) का चयन करते हैं, उन्हें सीटों की उपलब्धता के आधार पर संबंधित सीएसएस (पीजी)-2024 आवंटन राउंड के लिए विचार किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को किसी भी दौर में किसी भी कार्यक्रम के लिए उनकी पहली प्राथमिकता आवंटित की गई थी, उन्हें आवंटन के बाद के दौर में उस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा।

अध्याय-8 अपग्रेड अथवा फ़ीज़

राउंड की घोषणा से पहले, विश्वविद्यालय सभी प्रवेशित उम्मीदवारों के लिए एक "अपग्रेड" विंडो खोलेगा।

8.1 : अपग्रेड

एक प्रवेशित उम्मीदवार 'अपग्रेड' विकल्प का चयन कर सकता है, जो उस कार्यक्रम में उच्च प्राथमिकता पर अपग्रेड करने की सुविधा देगा जहां उसने प्रवेश लिया था। अपग्रेड का विकल्प चुनने वाले प्रवेशित उम्मीदवारों को आवंटन नीति के अनुसार, उस कार्यक्रम में सीटों की उपलब्धता के आधार पर अपग्रेड किया जाएगा जिसमें वह पहले से ही प्रवेश ले चुके हैं।

'अपग्रेड' विकल्प चुनने का मतलब है कि उम्मीदवार अगले दौर में उस कार्यक्रम के विभागों/केंद्रों/कॉलेजों में अपनी उच्च प्राथमिकताओं के अनुसार सीट के आवंटन पर विचार करने के लिए सहमति देता है, जिसमें वह पहले से ही प्रवेश ले चुका है। (यदि कोई) यदि कोई उम्मीदवार 'अपग्रेड' विकल्प चुनता है और आवंटन नीति के अनुसार उसे एक नई प्राथमिकता आवंटित की जाती है, तो उसकी वर्तमान सीट जिस पर वह वर्तमान में भर्ती है, स्वतः निरस्त कर दी जाएगी।

अपग्रेड विकल्प उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध नहीं होगा जिन्हें किसी विशेष कार्यक्रम में उनकी पहली प्राथमिकता आवंटित की गई थी।

जिस विभाग/केंद्र/कॉलेज में उम्मीदवार को पहले प्रवेश दिया गया था, उसे बाद के किसी भी दौर में प्रवेश की पेशकश नहीं की जाएगी।

इसी प्रकार, विभाग/कॉलेज संयोजन जो वरीयता क्रम में नीचे थे, जिस पर उम्मीदवार ने पहले प्रवेश लिया था, किसी भी बाद के दौर में उम्मीदवार को फिर से पेश नहीं किया जाएगा।

सलाह

यदि किसी उम्मीदवार को कई सीटों की पेशकश की जाती है, तो उसे सावधानी से एक सीट का चयन करना होगा क्योंकि अपग्रेड विकल्प केवल प्रवेशित सीट पर ही उपलब्ध होगा।

एक उम्मीदवार जो 'अपग्रेड विकल्प' चुनता है और आवंटन के बाद

के दौर में अपग्रेड हो जाता है, उसे अपग्रेड की गई सीट को 'स्वीकार' करना होगा और अपग्रेड की गई आवंटित सीट पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर अपग्रेड सीट स्वीकार नहीं करता है या किसी भी कारण से कोई गतिविधि नहीं करता है, तो अपग्रेड सीट निरस्त मानी जाएगी और उम्मीदवार सीएसएस (पीजी)-2024 से बाहर हो जाएगा।

यदि कोई उम्मीदवार 'अपग्रेड' विकल्प चुनता है, लेकिन सीट आवंटन के बाद के दौर में अपग्रेड नहीं होता है, तो पिछली सीट पर उसका प्रवेश बरकरार रखा जाएगा।

यह उम्मीदवार की उत्तरदायित्व है कि वह सीट आवंटन के सभी राउंड में 'अपग्रेड' विकल्पों की जांच करता रहे। यदि कोई उम्मीदवार किसी भी कारण से 'अपग्रेड' विकल्प चुनने में विफल रहता है या चूक जाता है, तो उसे अपग्रेड प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और दिल्ली विश्वविद्यालय किसी भी

परिस्थिति में इस संबंध में किसी भी शिकायत पर विचार नहीं करेगा।

8.2: फ्रीज़

विश्वविद्यालय सभी प्रवेशित उम्मीदवारों को पहले प्रवेश दौर के बाद " फ्रीज़" विकल्प प्रदान करेगा। संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सभी प्रवेशित उम्मीदवारों के लिए 'फ्रीज़' विकल्प उपलब्ध रहेगा।

एक उम्मीदवार जिसने आवंटित सीट पर प्रवेश ले लिया है और वर्तमान प्रवेश जारी रखने का निर्णय लिया है, उसे अपने डैशबोर्ड के माध्यम से 'फ्रीज़' अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए।

'फ्रीज़' चुनने पर:

वर्तमान प्रवेश (कार्यक्रम+विभाग/केंद्र/कॉलेज) 'फ्रीज्ड' हो जाता है और किसी भी परिस्थिति में बाद के आवंटन दौर में इसे बदला नहीं जा सकता है।

किसी भी कार्यक्रम में किसी भी नए आवंटन के लिए उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि एक उम्मीदवार ने दो कार्यक्रमों, ए और बी के लिए आवेदन किया है। वह एक विशेष दौर में कार्यक्रम ए में प्रवेश लेता है। यदि वह 'फ्रीज़' विकल्प चुनता है, तो यह माना जाएगा कि उम्मीदवार ने विभाग/केंद्र/कॉलेज में कार्यक्रम ए में प्रवेश जारी रखने का निर्णय लिया है, और किसी भी आगामी सूची में कार्यक्रम ए अथवा बी में किसी भी नए आवंटन के लिए कभी भी उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों को उस कार्यक्रम में "अपग्रेड" विकल्प चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां उसने वर्तमान में प्रवेश ले लिया है।

उम्मीदवार/द्वारा 'अपग्रेड' अथवा 'फ्रीज़' का विकल्प न चुनना:

यदि कोई प्रवेशित उम्मीदवार न तो 'अपग्रेड' अथवा न ही 'फ्रीज़' का विकल्प चुनता है और निष्क्रिय रहता है, तो उसके द्वारा लिया गया प्रवेश बरकरार रखा जाएगा और उस पर अपग्रेडेशन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

सलाह

उम्मीदवारों को अपना प्रवेश संतुष्ट होने पर ही "फ्रीज़" करना चाहिए और वे नहीं चाहते कि बाद के आवंटन के लिए उनके नाम पर विचार किया जाए।

अध्याय-9

अनंतिम रूप से आवंटित सीट को निरस्त करना

1. निर्धारित समय सीमा के भीतर अनंतिम रूप से आवंटित सीट को 'स्वीकार' करने में विफलता पर आवंटित सीट निरस्त कर दी जाएगी।
2. यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर प्रवेश शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है तो अनंतिम रूप से आवंटित सीट निरस्त कर दी जाएगी।
3. यदि, किसी भी समय, कोई दस्तावेज़/प्रमाण-पत्र अमान्य/धोखाधड़ी वाला पाया जाता है तो अनंतिम रूप से आवंटित सीट/प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
4. यदि, किसी भी समय, यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा घोषित न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है, तो अनंतिम रूप से आवंटित सीट/प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

एक उम्मीदवार जिसकी अनंतिम रूप से आवंटित सीट/प्रवेश उपर्युक्त कारणों से निरस्त कर दी गई है, वह सीएसएस (पीजी)-2024 के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने का अधिकार खो देगा।

अध्याय-10

अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश वापस लेना

एक उम्मीदवार जिसने किसी कार्यक्रम में प्रवेश लिया है, लेकिन इससे हटना चाहता है, वह अपने डैशबोर्ड के माध्यम से 'निकासी' विकल्प का चयन करके और 1000.00 रुपये (नॉन-रिफंडेबल) की निकासी शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकता है।

जो उम्मीदवार अपना प्रवेश वापस लेता है, वह दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनी पात्रता खो देगा। बाद के किसी भी नियमित आवंटन दौर में, यदि कोई हो, भागीदारी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्पॉट एडमिशन राउंड की घोषणा पर निकासी विकल्प निलंबित कर दिया जाएगा।

अध्याय-11

मिड-एंटी

जो उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर सीएसएस (पीजी)-2024 के लिए आवेदन करने में असफल रहे और सीएसएस (पीजी)-2024 में भाग लेने के इच्छुक हैं, वे मिड-एंटी शुल्क **रुपये का 1000.00 (गैर-वापसीयोग्य)** का भुगतान करके मिड-एंटी विंडो (जब भी विश्वविद्यालय इसकी घोषणा करता है) के माध्यम से भाग ले सकते हैं।

जो उम्मीदवार सीएसएस (पीजी)-2024 के लिए बीच में आवेदन करता है, उसे प्रारंभिक आवेदन चरण के दौरान सीएसएस (पीजी)-2024 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवंटित सीटों पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। पात्रता मानदंड, सीटों की उपलब्धता और अन्य सीएसएस (पीजी)-2024 नियमों की पूर्ति के अध्यक्षीन, ऐसे उम्मीदवारों को सीटों के आवंटन पर बाद के दौर (यदि कोई हो) के लिए विचार किया जा सकता है।

एक बार सीएसएस (पीजी)-2024 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को बीच में सीट आवंटित हो जाने के बाद, उसके लिए आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। आवंटित सीट स्वीकार करने में विफलता पर उम्मीदवार का दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। किसी विशेष आवंटन दौर में आवंटित सीट अंतिम होगी और किसी भी बाद के आवंटन दौर में अपग्रेड नहीं की जाएगी।

मध्य-प्रवेश शुल्क के सफल प्रेषण के बाद ही मध्य-प्रवेश पर विचार किया जाएगा।

केवल मध्य-प्रवेश के माध्यम से आवेदन करने से सीएसएस (पीजी)-2024 के माध्यम से सीट की गारंटी नहीं मिलती है।

निष्पादन/ऑडिशन/प्राॅक्टिकल/खेल-प्रवीणता आधारित कार्यक्रमों (एम.ए. संगीत, बी.पी.एड., एम.पी.एड., एम.एफ.ए.) और खेल सुपरन्यूमेरी कोटा के लिए मध्य-प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अध्याय-12 स्पोर्ट एडमिशन

नियमित सीएसएस (पीजी)-2024 राउंड के पूरा होने के बाद, यदि सीटें खाली रहती हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश के स्पोर्ट राउंड की घोषणा कर सकता है।

जिन उम्मीदवारों ने सीएसएस (पीजी)-2024 के लिए आवेदन किया था, लेकिन स्पोर्ट एडमिशन राउंड की घोषणा की तारीख पर उन्हें किसी भी विभाग/केंद्र/कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला, वे स्पोर्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं।

स्पोर्ट राउंड की घोषणा से पहले, सभी प्रवेशित उम्मीदवारों को अपग्रेड का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। प्रवेशित उम्मीदवारों के अपग्रेड के बाद स्पोर्ट राउंड के लिए सीटों की रिक्ति घोषित की जाएगी।

स्पोर्ट एडमिशन की घोषणा पर, सभी प्रवेशित उम्मीदवारों के डैशबोर्ड को फ्रीज़ मोड में रखा जाएगा और उन्हें न तो अपग्रेड के लिए विचार किया जाएगा और न ही अपना प्रवेश वापस लेने की अनुमति दी जाएगी।

स्पोर्ट एडमिशन राउंड में विचार किए जाने के लिए, उम्मीदवार को अपने डैशबोर्ड के माध्यम से 'स्पोर्ट एडमिशन' का विकल्प चुनना होगा।

प्रत्येक स्पोर्ट एडमिशन राउंड के लिए विश्वविद्यालय प्रत्येक कार्यक्रम की रिक्त सीटें प्रदर्शित करेगा। एक इच्छुक उम्मीदवार केवल एक कार्यक्रम का चयन करने में सक्षम होगा।

स्पोर्ट एडमिशन में, आवंटन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा:

1. सीटों की उपलब्धता।
2. कार्यक्रम-विशिष्ट मेरिट।
3. विभाग/केंद्र/महाविद्यालयों का वरीयता क्रम।
4. श्रेणी।
5. कोई अन्य आवंटन नियम, नीतियां, या मानदंड जैसा कि इस दस्तावेज़ (सीएसएस (पीजी)-2024), पीजी बीओआई-2024 में उल्लिखित है, या दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित है।

अभ्यर्थी को स्पोर्ट राउंड में आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्पोर्ट एडमिशन राउंड में आवंटित सीट स्वीकार करने में विफलता पर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की पात्रता समाप्त हो जाएगी और वह सीएसएस (पीजी) से बाहर हो जाएगा।

स्पोर्ट एडमिशन राउंड के दौरान 'अपग्रेड' और 'वापस लेने' का कोई विकल्प नहीं होगा। **किसी विशेष स्पोर्ट एडमिशन राउंड में आवंटित सीट अंतिम होगी** और स्पोर्ट एडमिशन राउंड के किसी भी अगले राउंड में अपग्रेड नहीं की जाएगी।

अध्याय-13 टाई ब्रेकिंग नियम

टाई की स्थिति में, जहां दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के पास एक कार्यक्रम के लिए समान सीयूईटी (पीजी)-2024 मेरिट स्कोर है, टाई को तोड़ने के लिए निम्नलिखित नियम बताए गए क्रम में लागू किए जाएंगे:

1. पात्रता मानदंड में उल्लिखित योग्यता परीक्षा में पहले पांच सेमेस्टर (वार्षिक मोड के लिए तीन वर्ष का औसत) के उच्चतम औसत प्रतिशत वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. योग्यता परीक्षा के पांचवें (या अंतिम वर्ष, जैसा लागू हो) में उच्च प्रतिशत वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि टाई बनी रहती है, तो पिछले सेमेस्टर (या वर्ष, जो भी लागू हो) आदि के उच्च प्रतिशत को टाई तोड़ने के लिए माना जाएगा।
3. उम्मीदवार की आयु; पहले की जन्मतिथि (जैसा कि दसवीं कक्षा के प्रमाण-पत्र में उल्लिखित है) वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।

अध्याय-14 शुल्क का प्रेषण

प्रवेश शुल्क के सफल भुगतान के बाद ही किसी उम्मीदवार के प्रवेश की पुष्टि की जाएगी। प्रवेश शुल्क का भुगतान केवल उम्मीदवार के डैशबोर्ड के माध्यम से किया जाना चाहिए। यदि प्रवेश शुल्क निर्धारित समय के भीतर सफलतापूर्वक जमा नहीं किया जाता है, तो प्रवेश किसी भी परिस्थिति में पूरा नहीं माना जाएगा।

सभी भुगतानों के लिए, उम्मीदवारों को इनमें से किसी भी भुगतान मोड का उपयोग करना चाहिए: नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई।

14.1: वर्चुअल वॉलेट

प्रवेश शुल्क के सफल प्रेषण पर, उम्मीदवार के लिए एक वर्चुअल वॉलेट बनाया जाएगा।

यदि कोई उम्मीदवार अपग्रेड हो जाता है और अपग्रेड सीट का प्रवेश शुल्क उम्मीदवार के वर्चुअल वॉलेट में मौजूद राशि से अधिक है, तो उसे निर्धारित समय के भीतर अंतर राशि का भुगतान करना होगा।

यदि अपग्रेड की गई सीट का प्रवेश शुल्क उम्मीदवार के वर्चुअल वॉलेट में मौजूद राशि से कम है, तो विभाग/केंद्र/कॉलेज से अनुमोदन प्राप्त होने पर इसे ऑटो-डेबिट कर दिया जाएगा।

14.2: भुगतान विफलता

- यदि खाते से राशि नहीं कटी है, तो उम्मीदवार को भुगतान की समय सीमा से पहले दोबारा भुगतान करने का प्रयास करना चाहिए।
- उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन भुगतान करने के लिए स्थिर इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग किया जाए।
- सफल भुगतान करने के लिए उम्मीदवार को सही क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना चाहिए।
- यदि राशि कट गई है, लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो उम्मीदवार अपने स्रोत बैंक से पुष्टि कर सकता है।
- यदि स्रोत बैंक से सफल लेनदेन की पुष्टि हो जाती है और भुगतान विफलता डैशबोर्ड पर दिखाई देती रहती है तो उस स्थिति में, उम्मीदवार सोमवार से शनिवार (दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर) प्रातः 9.30 बजे से सायं 5:30 बजे के बीच आईसीआईसीआई ईजीपे पेमेंट गेटवे हेल्पलाइन पर निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

फ़ोन: +91-9871985944, +91-9667640628

सलाह

प्रवेश शुल्क के सफल भुगतान पर, उम्मीदवार को भविष्य के संदर्भ के लिए प्रमाण के रूप में भुगतान के लेनदेन आईडी/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेटबैंकिंग विवरण और लेनदेन की तारीख का रिकॉर्ड रखना होगा।

सलाह

अंतिम समय की किसी भी जल्दबाजी से बचने के लिए उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान प्रक्रिया समय सीमा से पहले पूरी करनी होगी।

ईमेल पता: dupaymentquery@icicibank.com

भुगतान से संबंधित प्रश्नों के लिए, कृपया नीचे दिए गए मानक प्रारूप का उपयोग करें:

अभ्यर्थी का नाम	लेन-देन की तिथि	लेन-देन संख्या/आईडी	पाठ्यक्रम आवेदित	ईमेल आईडी	दिल्ली विश्वविद्यालय आवेदन में दर्ज किया गया मोबाइल नं.	प्रश्न की प्रकृति
#####	दिन.माह.वर्ष	2##### ##	जैसे, बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी	उम्मीदवार की पंजीकृत ईमेल आईडी	उम्मीदवार का पंजीकृत मोबाइल नं.	#####

अध्याय-15 भुगतान वापसी नीति

उम्मीदवार द्वारा प्रवेश वापस लेने पर प्रवेश शुल्क पूरी तरह से तभी वापस किया जाएगा यदि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा घोषित प्रवेश की अंतिम तिथि से पहले वापस लिया गया हो। प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद की गई निकासी पर प्रवेश शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

निम्नलिखित के लिए रिफंड नहीं किया जाएगा:

- क) सीएसएस (पीजी)-2024 आवेदन-शुल्क।
- ख) मिड-एंटी शुल्क।
- ग) निकासी शुल्क।

प्रवेश बंद होने पर रिफंड प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश बंद होने के तीन महीने के भीतर रिफंड का निपटान करने का प्रयास करेगा।

मूल दस्तावेजों के साथ अपेक्षित दस्तावेजों का अनिवार्य सत्यापन

सीएसएस (पीजी)-2024 के समापन पर, सभी प्रवेशित उम्मीदवारों को प्रवेशित विभाग/केंद्र/कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा और दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के प्रत्यक्ष सत्यापन सहित संबंधित विभाग/केंद्र/कॉलेज की सभी प्रवेश औपचारिकताओं को पूरा करना होगा।

उम्मीदवार का प्रवेश पूरी तरह से अनंतिम है और संबंधित विभाग/केंद्र/कॉलेज द्वारा मूल दस्तावेजों के सत्यापन के अध्यक्षीन है। विभाग/केंद्र/कॉलेज सभी दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों की दोबारा जांच करेगा। प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान, यदि कोई दस्तावेज़/प्रमाण-पत्र अपर्याप्त/अनुचित पाया जाता है, तो प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे उम्मीदवार शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी पीजी कार्यक्रम में प्रवेश के अवसर से वंचित हो जाएंगे।

अध्याय-17 उत्तीर्ण स्थिति में परिवर्तन

सीएसएस (पीजी)-2024 आवेदन-पत्र बंद होने के बाद उम्मीदवार की उत्तीर्ण स्थिति बदल सकती है। अर्थात्, उसके अंक सुधार/पुनर्गणना के कारण या सीएसएस (पीजी)-2024 आवेदन-पत्र बंद होने के बाद परिणाम घोषित होने के कारण बदल सकते हैं।

केवल नियमित सीट आवंटन अवधि के दौरान, उत्तीर्ण स्थिति के ऐसे संशोधन के परिणामस्वरूप निम्नलिखित लागू होगा:

मामला 1: यदि, योग्यता परीक्षा की उत्तीर्ण स्थिति में संशोधन के कारण, कोई उम्मीदवार पीजी बीओआई-2024 में प्रकाशित न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करने के कारण अयोग्य हो जाए तो ऐसे मामले में, उम्मीदवार सीट आवंटन/स्वीकृति/दस्तावेज़ सत्यापन के किसी भी चरण में या बाद के चरण में भी अयोग्य होगा। इस संबंध में बिना किसी पूर्व सूचना के ऐसे उम्मीदवारों का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

मामला 2: यदि, योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण स्थिति में संशोधन के कारण, यदि कोई उम्मीदवार पीजी बीओआई-2024 में प्रकाशित न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करता है, और प्रवेश के लिए पात्र हो जाता है, तो ऐसा उम्मीदवार सीएसएस (पीजी)-2024 के लिए आवेदन कर सकता है।

ऐसे सभी मामलों में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

अध्याय-18 शिकायत निवारण

18.1: विभाग/केंद्र/महाविद्यालय शिकायत निवारण समिति

प्रत्येक विभाग/केंद्र/कॉलेज प्रवेश के दौरान उत्पन्न होने वाली शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण समिति की स्थापना करेगा। इसके अलावा, एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के उम्मीदवारों की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण की एक उप-समिति भी स्थापित की जाएगी। विभाग/केंद्र/कॉलेज शिकायत निवारण समिति और उप-समिति का विवरण निर्धारित सीमा के भीतर उम्मीदवारों की आवश्यकताओं/प्रश्नों को सुविधाजनक बनाने और संबोधित करने के लिए विभाग/केंद्र/कॉलेज की वेबसाइट और दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को प्रवेश के बारे में शिकायत है, उन्हें सबसे पहले संबंधित विभाग/केंद्र/कॉलेज की शिकायत निवारण समिति से संपर्क करना चाहिए।

कॉलेज शिकायतों को संबंधित विभाग को निर्देशित करेंगे। संबंधित विभाग शिकायत का समाधान करने का प्रयास करेगा।

18.2: केन्द्रीय शिकायत निवारण समिति

यदि विभाग द्वारा उचित समय में शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवार दिल्ली विश्वविद्यालय की केंद्रीय शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय शिकायत समिति केवल उन्हीं शिकायतों पर विचार करेगी जो विभागाध्यक्ष से सिफारिशों/टिप्पणियों के साथ प्राप्त होंगी।

यह समिति उम्मीदवारों के आवंटन एवं प्रवेश संबंधी मुद्दों का समाधान करेगी। केंद्रीय शिकायत निवारण समिति का विवरण दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

यदि कोई शिकायत प्रासंगिक और वास्तविक पाई जाती है, और यदि किसी विशिष्ट कार्यक्रम + कॉलेज संयोजन में सीटें भर गई हैं, तो ऐसे उम्मीदवार को एक सुपरन्यूमेरी सीट की पेशकश की जाएगी। शिकायतों के संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

एनसीडब्ल्यूईबी, खेल सुपरन्यूमेरी कोटा और सीडब्ल्यू से संबंधित प्रवेश शिकायतों का निवारण दिल्ली विश्वविद्यालय की संबंधित समितियों द्वारा किया जाएगा।

सलाह

प्रवेश शिकायत निवारण समितियों से संपर्क करने के लिए उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करना होगा।

अध्याय-19

निष्पादन/ऑडिशन/प्रेक्टिकल-आधारित कार्यक्रमों में प्रवेश:

एम.ए.संगीत, एम.पी.एड, बी.पी.एड, एम.एफ.ए.

19.1: सामान्य जानकारी

1. एम.ए. (हिंदुस्तानी संगीत) गायन/वाद्य (सितार/सरोद/गिटार/वायलिन/संतूर), एम.ए. (कर्नाटक संगीत) गायन/वाद्ययंत्र, एम.ए. परकशन (तबला/पखावज) के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को संगीत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ऑडिशन देना होगा।
2. बी.पी.एड. और एम.पी.एड. के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली खेल दक्षता परीक्षा देनी होगी।
3. एम.एफ.ए (एप्लाइड आर्ट्स)/एम.एफ.ए (प्रिंटमेकिंग, मूर्तिकला, पेंटिंग, विजुअल कम्युनिकेशन) के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को कॉलेज ऑफ आर्ट द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रैक्टिकल आधारित परीक्षा देनी होगी।
4. मेरिट सूची के लिए, 50% वेटेज सीयूईटी (पीजी)-कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता से प्राप्त 2024 अंकों को दिया जाएगा, और 50% वेटेज ऑडिशन/खेल प्रवीणता/व्यावहारिक परीक्षण से प्राप्त स्कोर को दिया जाएगा।
5. संगीत विभाग, शारीरिक शिक्षा विभाग और कॉलेज ऑफ आर्ट्स द्वारा ऑफलाइन ऑडिशन/खेल दक्षता/प्रेक्टिकल टेस्ट के लिए उम्मीदवारों को शुरू में सीयूईटी (पीजी)-2024 स्कोर के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में स्वीकृत सीटों की संख्या से पांच (5) गुना बुलाया जाएगा। इन उम्मीदवारों के लिए ऑडिशन/खेल दक्षता/प्रेक्टिकल टेस्ट एक सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, और ऑफलाइन ऑडिशन/खेल दक्षता/प्रेक्टिकल टेस्ट में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों के अंक 7 कार्य दिवसों के भीतर वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। संबंधित परीक्षा की अंतिम तिथि. यदि आवश्यकता हुई, तो सीटें भरने के लिए अधिक उम्मीदवारों को ऑडिशन/खेल दक्षता/प्रेक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है।

19.2: एम.ए. संगीत

1. एम.ए. (हिंदुस्तानी संगीत) गायन/वाद्य (सितार/सरोद/गिटार/वायलिन/संतूर), एम.ए. (कर्नाटक संगीत) गायन/वाद्ययंत्र, एम.ए. परकशन (तबला/पखावज) के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को संगीत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित ऑडिशन देना होगा।
2. प्रवेश सीयूईटी (50% वेटेज) और ऑडिशन टेस्ट (50% वेटेज) के संयुक्त मेरिट अंकों के आधार पर होगा।
3. ऑडिशन टेस्ट अधिकतम 100 अंकों का होगा।
4. सभी उम्मीदवारों के लिए ऑडिशन टेस्ट का स्थान है:
संगीत विभाग

संगीत और ललित कला संकाय
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली-110007

5. टेस्ट केवल ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. टेस्ट के समय, उम्मीदवारों को सीयूईटी (पीजी)-2024 के परिणाम की एक हार्ड कॉपी लानी होगी।
7. उम्मीदवारों के माता-पिता/अभिभावकों/रिश्तेदारों को कार्यक्रम स्थल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
8. उम्मीदवारों को संगीत विभाग की वेबसाइट-Music.du.ac.in या विभाग के नोटिस बोर्ड पर ऑडिशन टेस्ट की अपनी संबंधित तारीखें देखनी होंगी।
9. संगीत विभाग ऑडिशन टेस्ट के लिए वाद्ययंत्र और संगतकार उपलब्ध कराएगा। जो लोग अपने स्वयं के उपकरण लाना चाहते हैं, वे विभाग के कार्यालय में पहले से उचित सूचना देकर ऐसा कर सकते हैं।
10. हारमोनियम/सारंगी वादन की अनुमति केवल एम.ए. संगीत (पर्कशन) के उम्मीदवारों को दी जाएगी, न कि एम.ए. संगीत (हिन्दुस्तानी गायन) के उम्मीदवारों को।
11. ऑडिशन टेस्ट के दौरान उम्मीदवारों को अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
12. ऑफलाइन ऑडिशन टेस्ट में उपस्थित होने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कोई टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

19.3: शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.), शारीरिक शिक्षा स्नातकोत्तर (एम.पी.एड.)

1. बी.पी.एड. और एम.पी.एड. में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड के अनुसार। 50% वेटेज सीयूईटी (पीजी) स्कोर को दिया जाएगा और 50% वेटेज खेल प्रवीणता परीक्षा के लिए है।
2. शारीरिक शिक्षा विभाग शुरू में ऑफलाइन खेल प्रवीणता परीक्षा के लिए सीयूईटी (पीजी)-2024 स्कोर के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में स्वीकृत सीटों की संख्या का 5 (पांच) गुना बुलाएगा। इन उम्मीदवारों की खेल दक्षता परीक्षा एक सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाएगी और अंक 7 कार्य दिवसों के भीतर वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। यदि आवश्यकता हुई, तो सीटें भरने के लिए अधिक उम्मीदवारों को ऑडिट/खेल दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है।
3. खेल प्रवीणता परीक्षा के 50% अंक निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार होंगे:
 - (i) खेल प्रमाण-पत्र: 30% वेटेज
 - (ii) खेल फिटनेस: 20% वेटेज
4. खेल निष्पादन की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए सीएसएस (पीजी)-2024 आवेदन-पत्र में अधिकतम तीन उच्चतम खेल प्रमाण-पत्र जमा किए जा सकते हैं। केवल सर्वोच्च खेल उपलब्धि को ही खेल दक्षता अंक के रूप में प्रदान किया जाएगा।

5. आवेदन-पत्र में उम्मीदवार का एक मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र जमा किया जाना चाहिए। (प्रमाण-पत्र के प्रारूप के लिए अनुबंध-III देखें)।
6. खेल प्रमाण-पत्र 1 मई 2021 से 30 अप्रैल 2024 के बीच जारी किया होना चाहिए।
7. खेल प्रमाण-पत्र पुरस्कारों के लिए बारहवीं कक्षा के बाद प्राप्त प्रमाण-पत्रों पर ही विचार किया जाएगा।

खेल प्रवीणता पुरस्कार के लिए विचार किए जाने वाले खेलों/खेलों की सूची, अर्थात् एसपीडब्ल्यू-1 से एसपीडब्ल्यू-7 इस प्रकार है:

1.	जलीय विज्ञान (तैराकी, गोताखोरी और सिन क्रोनाइज्ड तैराकी, वाटर पोलो सहित)	17.	कराटे (छह कुमाइट और दो काटा श्रेणियां)
2.	तीरंदाजी	18.	आधुनिक पेंटाथलॉन
3.	बैडमिंटन	19.	रोइंग
4.	बेसबॉल और सॉफ्टबॉल	20.	रग्बी 7एस
5.	बास्केटबॉल	21.	नाव चलाना
6.	मुक्केबाजी	22.	निशानेबाजी
7.	डोंगी/कश्ती	23.	टेबल टेनिस
8.	साइकिल चलाना-ट्रैक, सड़क, पहाड़ सहित बाइक और ट्रैक साइकिलिंग और माउंटेन बाइक	24.	तायक्वोंडो
9.	घुड़सवार	25.	टेनिस
10.	बाइ लगाना	26.	ट्रैक क्षेत्र
11.	फुटबाल (सॉकर)	27.	ट्राइथलॉन
12.	गोल्फ	28.	वॉलीबॉल-इनडोर और समुद्र तट वॉलीबॉल
13.	जिम्नास्टिक (कलात्मक, लयबद्ध और ट्रैम्पोलिनिंग)	29.	भारोत्तोलन
14.	हैंडबाल	30.	कुश्ती (ग्रीको-रोमन और फ्रीस्टाइल)
15.	हॉकी	31.	सभी एआईयू खेल (एआईयू द्वारा आयोजित)
16.	जूडो		

विशेष टिप्पणी:

- (i) योग की अनुमति केवल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप और इंटर कॉलेज चैंपियनशिप के लिए है।
- (ii) केवल खुली राज्य/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए।
- (iii) आईओए से संबद्ध खेलों पर विचार किया जाएगा।

1. खेल प्रवीणता वेटेज (एसपीडब्ल्यू-1) अंतर्राष्ट्रीय:

खेल/खेल प्रतियोगिताओं का स्तर	पदक/भागीदारी	30 में से दिए जाने वाले अंक	प्रमाण-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी
ओलंपिक खेल/विश्व	स्वर्ण	30	आईओसी/आईएसएफ/सीजीएफ/ ओसीए/एसएओसी/आईपीसी/आई ओए/एनएसएफ भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय (एमवाईएस) द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्त-पोषित।
चैंपियनशिप/विश्व कप/कॉमन	रजत	29	
वेलथ गेम्स/एशियाई खेल/एशियाई	कांस्य	28	
चैंपियनशिप/दक्षिण एशियाई खेल/उल्लेखित खेलों की युवा चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया	भागीदारी	26	

2. खेल प्रवीणता वेटेज (एसपीडब्ल्यू-2):

खेल/खेल प्रतियोगिताओं का स्तर	पदक/भागीदारी	दिए जाने वाले अंक	प्रमाण-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी
सीनियर नेशनल/ऑल इंडिया	स्वर्ण	25	संबंधित राष्ट्रीय खेल/खेल महासंघ/एसोसिएशन आई.ओ.ए. से और युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार और बीसीसीआई के तहत खेलो इंडिया गेम्स का निकाय से संबद्ध होनी चाहिए।
इंटरस्टेट/ऑल इंडिया इंटर	रजत	24	
जोनल/राष्ट्रीय खेल/फेडरेशन कप	कांस्य	23	
खेलो इंडिया गेम्स	भागीदारी	21	
* टिप्पणी: केवल सूचीबद्ध खेलों पर ही विचार किया जाएगा)			

3. खेल प्रवीणता वेटेज एसपीडब्ल्यू-3:

खेल/खेल प्रतियोगिताओं का स्तर	पदक/भागीदारी	दिए जाने वाले अंक	प्रमाण-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी
यूथ चैंपियनशिप/यूथ खेलो इंडिया गेम्स/जूनियर राष्ट्रीय/जूनियर फेडरेशन खेल	स्वर्ण	20	संबंधित राष्ट्रीय खेल/खेल/महासंघ/ एसोसिएशन युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार और बीसीसीआई के तहत खेलो इंडिया गेम्स के आयोजन निकाय को छोड़कर आई.ओ.ए. से संबद्ध होना चाहिए।
	रजत	19	
	कांस्य	18	
	भागीदारी	16	
* टिप्पणी: केवल सूचीबद्ध खेलों पर ही विचार किया जाएगा			

4. **खेल प्रवीणता वेटेज एसपीडब्ल्यू-4:**

खेल/खेल प्रतियोगिताओं का स्तर	पदक/भागीदारी	ऑल इंडिया इंटर-यूनिवर्सिटी अंक	जोनल इंटर-यूनिवर्सिटी अंक	ऑल इंडिया इंटर-यूनिवर्सिटी अंक
ए.आई.यू./जोनल इंटर-वर्सिटी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी	स्वर्ण	15	14	ए.आई.यू. संबंधित विश्वविद्यालय जिसका प्रतिभागी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है
	रजत	14	13	
	कांस्य	13	12	
	भागीदारी	11	10	
* टिप्पणी: केवल सूचीबद्ध खेलों पर ही विचार किया जाएगा				

5. **खेल प्रवीणता वेटेज एसपीडब्ल्यू-5:**

खेल/खेल प्रतियोगिताओं का स्तर	पदक/भागीदारी	दिए जाने वाले अंक	प्रमाण-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण महिला चैंपियनशिप/राष्ट्रीय युवा चैंपियनशिप/राष्ट्रीय खेल महोत्सव	स्वर्ण	4	युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार की संबंधित निकाय।
	रजत	3	
	कांस्य	2	
* टिप्पणी: केवल सूचीबद्ध खेलों पर ही विचार किया जाएगा)			

6. **खेल प्रवीणता वेटेज एसपीडब्ल्यू-6:**

खेल/खेल प्रतियोगिताओं का स्तर	पदक/भागीदारी	दिए जाने वाले अंक	प्रमाण-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी
राज्य चैंपियनशिप/इंटर कॉलेज चैंपियनशिप	स्वर्ण	5	संबंधित राज्य के खेल/संघ को संबंधित राष्ट्रीय महासंघ/संघ से संबद्ध होना चाहिए
	रजत	3	

* टिप्पणी: केवल सूचीबद्ध खेलों पर ही विचार किया जाएगा)	कांस्य	1	और इसके अलावा इसे क्रिकेट (बीसीसीआई)/विश्वविद्यालय के संबंधित आयोजन निकाय को छोड़कर आईओए से संबद्ध होना चाहिए।
--	--------	---	--

संशोधित कनाडाई शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण का उपयोग किया जाएगा। परीक्षण का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

	पुरुष	महिला
(क)	8'6" लंबी कूद	5'6" लंबी कूद
(ख)	5'ऊंचाई की वॉल्टिंग हॉर्स जंप	4'ऊंचाई की वॉल्टिंग हॉर्स जंप
(ग)	6'नदी की चौड़ाई को 7 बार पार करना	4'नदी की चौड़ाई को 5 बार पार करना
(घ)	91.4 सेमी.ऊंचाई की बाधा को पार करना	76.2 सेमी.ऊंचाई की बाधा को पार करना
(ङ)	मैट पर फॉरवर्ड रोल (एक)	मैट पर फॉरवर्ड रोल (एक)
(च)	मैट पर एक फॉरवर्ड रोल के बाद अंतिम पंक्ति से फिनिश लाइन/प्रारंभिक बिंदु तक दौड़ना	मैट पर एक फॉरवर्ड रोल के बाद अंतिम पंक्ति से फिनिश लाइन/प्रारंभिक बिंदु तक दौड़ना

टिप्पणी:

1. विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार को समय सीमा की परवाह किए बिना उपरोक्त शारीरिक फिटनेस परीक्षण बिना किसी चूक के पूरा करना होगा।
2. तथापि, उम्मीदवार को अंक केवल तालिका-1 के अनुसार दिए जाएंगे। यदि कोई उम्मीदवार ऐसा समय देखता है जो तालिका 1 में उल्लिखित नहीं है (38 सेकंड से अधिक) तो ऐसे उम्मीदवार को उसके निष्पादन के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार 23.15 सेकंड या उससे कम समय लेता है, तो 20 अंक दिए जाएंगे।
3. प्रत्येक अभ्यर्थी को अधिकतम तीन अवसर/परीक्षण दिये जायेंगे।
4. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा अधूरी छोड़ देता है तो उसे ट्रायल/मौके के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।


बी.पी.एड और एम.पी.एड. में प्रवेश के लिए शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण अंकन योजना

लिया गया समय (सेकंड में)	स्कोर	लिया गया समय (सेकंड में)	स्कोर	लिया गया समय (सेकंड में)	स्कोर
35.15	0.00	29.75	7.20	24.35	14.40
35.00	0.20	29.60	7.40	24.20	14.60
34.85	0.40	29.45	7.60	24.05	14.80
34.70	0.60	29.30	7.80	23.90	15.00

34.55	0.80	29.15	8.00	23.75	15.20
34.40	1.00	29.00	8.20	23.60	15.40
34.25	1.20	28.85	8.40	23.45	15.60
34.10	1.40	28.70	8.60	23.30	15.80
33.95	1.60	28.55	8.80	23.15	16.00
33.80	1.80	28.40	9.00	23.00	16.20
33.65	2.00	28.25	9.20	22.85	16.40
33.50	2.20	28.10	9.40	22.70	16.60
33.35	2.40	27.95	9.60	22.55	16.80
33.20	2.60	27.80	9.80	22.40	17.00
33.05	2.80	27.65	10.00	22.25	17.20
32.90	3.00	27.50	10.20	22.10	17.40
32.75	3.20	27.35	10.40	21.95	17.60
32.60	3.40	27.20	10.60	21.80	17.80
32.45	3.60	27.05	10.80	21.65	18.00
32.30	3.80	26.90	11.00	21.50	18.20
32.15	4.00	26.75	11.20	21.35	18.40
32.00	4.20	26.60	11.40	21.20	18.60
31.85	4.40	26.45	11.60	21.05	18.80
31.70	4.60	26.30	11.80	20.90	19.00
31.55	4.80	26.15	12.00	20.75	19.20
31.40	5.00	26.00	12.20	20.60	19.40
31.25	5.20	25.85	12.40	20.45	19.60
31.10	5.40	25.70	12.60	20.30	19.80
30.95	5.60	25.55	12.80	20.15	20.00
30.80	5.80	25.40	13.00	/	
30.65	6.00	25.25	13.20		
30.50	6.20	25.10	13.40		
30.35	6.40	24.95	13.60		
30.20	6.60	24.80	13.80		
30.05	6.80	24.65	14.00		
29.90	7.00	24.50	14.20		

एक उम्मीदवार को उपरोक्त तालिका के आधार पर अंक दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई उम्मीदवार 28.10 सेकंड का समय लेता है तो दिए जाने वाले अंक 13.40 होंगे और इसी तरह आगे भी। तथापि, यदि कोई उम्मीदवार 23.15 सेकंड और उससे कम समय लेता है तो उसे 20 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा, यदि कोई उम्मीदवार 23.16 सेकंड और उससे अधिक लेकिन 23.30 सेकंड से कम समय लेता है तो उसे 19.80 अंक दिए जाएंगे।

बी.पी.एड और एम.पी.एड. में प्रवेश के लिए शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण का उदाहरण



उम्मीदवार अंतिम रेखा को पार करने के बाद फिनिश लाइन/प्रारंभिक बिंदु तक दौड़ेगा						
	लंबी छलांग	बाल्टिंग होर्स	नदी पार करना	बाधा	फॉरवर्ड रोल	पूरे बैग से दौड़ना
पुरुष	8'	5'	4' 8" (7 बार)	91.4 से.मी.	एक चटाई (एक)	फिनिश लाइन तक तेजी से दौड़
महिला	5'	4'	3' 6" (5 बार)	76.2 से.मी.	एक चटाई (एक)	

Activ
Go to!

19.4: ललित कला स्नातकोत्तर

ललित कला स्नातकोत्तर में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को कॉलेज ऑफ आर्ट द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रैक्टिकल टेस्ट/वाइवा-वॉयस में शामिल होना होगा।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक जानकारी के लिए कॉलेज की वेबसाइट देखें।

खेल सुपरन्यूमेरी कोटा से प्रवेश

विश्वविद्यालय खेल कोटा में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में सुपरन्यूमेरी सीटों के रूप में 5% तक (विभाग/केंद्र/कॉलेज की कुल प्रवेश क्षमता का) निर्धारित करता है।

पीजी कार्यक्रम में खेल सुपरन्यूमेरी कोटा के आधार पर प्रवेश चाहने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए सीयूईटी (पीजी)-2024 में उपस्थित होना अनिवार्य है।

मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बैचलर ऑफ एजुकेशन/बी.एड विशेष शिक्षा (एमआर/VI), मास्टर ऑफ एजुकेशन, एम.टेक. माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एलएलबी, एलएलएम, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर इन रेस्पिरेटरी थेरेपी, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, एम.ए. संगीत, एम.ए. सोशल वर्क और एम.एससी. गणितीय शिक्षा के कार्यक्रमों में खेल के आधार पर प्रवेश लागू नहीं है।

खेल के आधार पर प्रवेश उस उम्मीदवार के लिए उपलब्ध नहीं है जिसने पहले विभाग/केंद्र/कॉलेज में प्रवेश लिया हो और खेल सुपरन्यूमेरी कोटा का लाभ उठाया हो। ऐसे उम्मीदवार एक ही मेरिट खेल प्रमाण-पत्र पर कई बार खेल सुपरन्यूमेरी कोटा प्रवेश का दावा नहीं कर सकते।

1. एक उम्मीदवार अधिकतम तीन खेलों/खेल के लिए पंजीकरण करा सकता है।
2. प्रत्येक खेल/स्पोर्ट के लिए 100 रुपये का अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क (नॉन रिफंडेबल) लागू होगा।
3. पिछले तीन वर्षों 01 मई 2021 से 30 अप्रैल 2024 तक के मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाण-पत्र पर विचार किया जाएगा।
4. अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाण-पत्र में अपूर्ण/कटिंग/ओवरराइटिंग पर किसी भी परिस्थिति में अंकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
5. आमंत्रण/स्मारक/ओपन/प्राइज़ मनी लीग/रैंकिंग प्रतियोगिताओं के खेल प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता/भागीदारी के पत्र/लेटरहेड पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
6. उम्मीदवार को तीन मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां अपलोड करनी होंगी।
7. पीजी खेल सुपरन्यूमेरी कोटा के तहत प्रवेश की अनुसूची के संबंध में अतिरिक्त जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट admission.uod.ac.in पर अधिसूचित की जाएगी।

यहां प्रवेश निम्नलिखित पर आधारित होगा:

क. मेरिट खेल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश

1. श्रेणी ए: इस श्रेणी में प्रवेश के मानदंड पूरी तरह से सीएसएस 2024 आवेदन-पत्र में उम्मीदवार के अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाण-पत्र के मूल्यांकन में प्राप्त उच्चतम अंकों की जांच पर आधारित होंगे। आवंटन सामान्य न्यूनतम पात्रता, कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता को पूरा करने और उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विभाग/केंद्र/कॉलेज में सीट की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

II. श्रेणी बी1, बी2 और बी3: इस श्रेणी में प्रवेश सीएसएस 2024 आवेदन-पत्र में उम्मीदवार के मानदंड सीयूईटी (पीजी) 2024 के 25% और अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाण-पत्र के मूल्यांकन में प्राप्त उच्चतम अंकों के 75% के संयुक्त वेटेज पर आधारित होंगे। आवंटन सामान्य न्यूनतम पात्रता, कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता को पूरा करने और उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विभाग/केंद्र/कॉलेज में सीट की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

20.1 : श्रेणी ए (अधिकतम 100 अंक)

इस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए, उपधारा 21.2 में उल्लिखित खेल/खेल के लिए सीएसएस 2024 आवेदन पत्र में अपलोड किए गए योग्यता/भागीदारी खेल प्रमाण-पत्र पर वेटेज दिया जाएगा।

बी. जिन उम्मीदवारों ने युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमवाईएस) द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्त-पोषित निम्नलिखित प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, उन्हें मेरिट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

- 1) अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल
- 2) अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों (आईएसएफ) द्वारा विश्व चैम्पियनशिप/विश्व कप
- 3) राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सीजीएफ) द्वारा राष्ट्रमंडल खेल
- 4) ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (ओसीए) द्वारा एशियाई खेल
- 5) अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों (आईएसएफ) द्वारा एशियाई चैम्पियनशिप
- 6) दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद (एसएओसी) द्वारा दक्षिण एशियाई खेल (एसएजी)
- 7) अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (आईपीसी) द्वारा पैरालंपिक खेल
- 8) इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी खेल फेडरेशन (एफआईएसयू) द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स/वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप

20.2 : श्रेणी बी1, बी2 एवं बी3 (अधिकतम 90 अंक)

इन श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए, उपधारा 21.2 बी में उल्लिखित खेल के लिए सीएसएस 2024 आवेदन-पत्र में अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाण-पत्र पर वेटेज दिया जाएगा।

वे अभ्यर्थी जिन्होंने खेल के लिए उपधारा 21.2 बी में उल्लिखित यूजी कार्यक्रम में अध्ययन के सभी वर्षों के लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू)/एसएआई/एमवाईएस द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं/खेलों इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (केआईयूजी) में स्थान प्राप्त किया है।

अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाण-पत्र का अंकन (अधिकतम 90 अंक)

धारा 21.3: खेल/खेल प्रतियोगिताओं के विभिन्न स्तरों के लिए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाण-पत्र को चिह्नित करने के लिए मानदंड शामिल हैं।

1. अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाण-पत्र का मूल्यांकन अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाण-पत्र को चिह्नित करने के मानदंड के अनुसार किया जाएगा। तथापि, अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाण-पत्र के मूल्यांकन में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त उच्चतम अंकों को खेल सुपरन्यूमेरी कोटा के आधार पर प्रवेश माना जाएगा।

2. उम्मीदवार की योग्यता का स्तर केवल उन लोगों के लिए निर्धारित किया जाएगा जिन्होंने उप खंड 21.2 बी में उल्लिखित खेल/क्रीड़ा में पिछले तीन वर्षों के दौरान विशिष्टता हासिल की है।
3. खेल सुपरन्यूमेरी कोटा के आधार पर प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार को अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाण-पत्र के मूल्यांकन में न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करने होंगे।
- ख. खेल के आधार पर प्रवेश किए जाने वाले खेल/खेलकूद पर विचार किया गया

एकल खेल:

तीरंदाजी (एम एंड डब्ल्यू), एथलेटिक्स (एम एंड डब्ल्यू), शतरंज (एम एंड डब्ल्यू), डाइविंग (एम एंड डब्ल्यू), जिमनास्टिक्स (एम एंड डब्ल्यू), शूटिंग (एम एंड डब्ल्यू), तैराकी (एम एंड डब्ल्यू) और भारोत्तोलन (एम एंड डब्ल्यू)।

दोहरे और लड़ाकू खेल:

बैडमिंटन (एम एंड डब्ल्यू), बॉक्सिंग (एम एंड डब्ल्यू), जूडो (एम एंड डब्ल्यू), फेंसिंग (एम एंड डब्ल्यू), स्कवैश (एम एंड डब्ल्यू), टेबल टेनिस (एम एंड डब्ल्यू), तायक्वोंडो (क्योरुगी) (एम एंड डब्ल्यू), टेनिस (एम एंड डब्ल्यू) और कुश्ती (फ्रीस्टाइल) (एम एंड डब्ल्यू)।

दल के खेल:

बेसबॉल (एम), बास्केटबॉल (एम एंड डब्ल्यू), क्रिकेट (एम एंड डब्ल्यू), फुटबॉल (एम एंड डब्ल्यू), हैंडबॉल (एम एंड डब्ल्यू), हॉकी (एम एंड डब्ल्यू), कबड्डी (एम एंड डब्ल्यू), खो-खो (एम एंड डब्ल्यू), नेटबॉल (डब्ल्यू), सॉफ्टबॉल (डब्ल्यू), और वॉलीबॉल (एम एंड डब्ल्यू)।

20.3: अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाण-पत्र के अंकन के लिए मानदंड

श्रेणी	खेल/खेल प्रतियोगिताओं का स्तर	प्रमाण-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी	अधिकतम अंक (100)			
			प्रथम स्थान	द्वितीय स्थान	तृतीय स्थान	भागीदारी
ए	ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल/विश्व चैंपियनशिप/विश्व कप/राष्ट्रमंडल खेल/एशियाई खेल/एशियाई चैंपियनशिप/दक्षिण एशियाई खेल/पैरालंपिक खेल/विश्व	आईओसी/आईएसएफ/सीजीएफ/ओसी ए/एसएओसी/आईपीसी/एफआईएसयू युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमवाईएस) द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्त-पोषित है।	100			

	विश्वविद्यालय खेल /विश्व विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया।					
बी1	यूजी कार्यक्रम में अध्ययन के सभी वर्षों के लिए अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं/खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (केआईयूजी) में स्थिति	भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू)/खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (केआईयूजी)	90	60	30	अयोग्य
बी2	यूजी कार्यक्रम में दो वर्ष के अध्ययन के लिए अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं/खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (केआईयूजी) में स्थिति	भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू)/ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (केआईयूजी)	80	50	20	अयोग्य
बी3	यूजी कार्यक्रम में एक वर्ष के अध्ययन के लिए अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता/खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (केआईयूजी) में स्थिति	भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू)/ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (केआईयूजी)	70	40	10	अयोग्य

20.4. खेल सुपरन्यूमेरी कोटा में प्रवेश के लिए सीटों के आवंटन की नीति:

1. खेल सुपरन्यूमेरी कोटा के लिए सीटों के आवंटन के लिए श्रेणी ए के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. श्रेणी बी1, बी2 और बी3 के उम्मीदवारों को खेल सुपरन्यूमेरी कोटा के लिए सीटों के आवंटन के लिए,

निम्नलिखित नीति अपनाई जाएगी:

3. खेल सुपरन्यूमेरी कोटा के लिए सीटों के आवंटन के उद्देश्य से, योग: उच्चतम कार्यक्रम-विशिष्ट सीयूईटी (पीजी) 2024 स्कोर का 25% और अपलोड की गई मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाण-पत्र के मूल्यांकन में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त उच्चतम अंकों का 75%.
4. आवंटन निम्नलिखित मानदंडों पर किया जाएगा:
 - क. उम्मीदवारों द्वारा चुने गए कार्यक्रम+विभाग/केंद्र/कॉलेज संयोजन की प्राथमिकताएँ।
 - ख. उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विभाग/केंद्र/कॉलेज में सीटों की उपलब्धता के अध्यक्षीन।

20.5 महत्वपूर्ण सूचना

1. किसी उम्मीदवार का नाम खेल मेरिट सूची में आने से किसी कार्यक्रम और विभाग/केंद्र/कॉलेज में प्रवेश की गारंटी नहीं मिलती है। उम्मीदवार का प्रवेश विभाग/केंद्र/कॉलेज में एक कार्यक्रम में सीटों की उपलब्धता के अध्यक्षीन है और विभाग के कार्यक्रम-विशिष्ट न्यूनतम पात्रता मानदंड और विश्वविद्यालय के नियमों की पूर्ति के अध्यक्षीन होगा।
2. पीजी खेल सुपरन्यूमेरी कोटा का संचालन दिल्ली यूनिवर्सिटी खेल काउंसिल (डीयूएससी) के अध्यक्ष द्वारा गठित पीजी खेल प्रवेश समिति द्वारा किया जाएगा।
3. अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाण-पत्र के अंक प्रदान करने से संबंधित शिकायत का निवारण डीयूएससी की पीजी खेल शिकायत निवारण समिति द्वारा किया जाएगा। सभी पंजीकृत शिकायतों का समाधान डीयूएससी की पीजी खेल शिकायत निवारण समिति द्वारा तीन दिनों में किया जाएगा।
4. दिल्ली विश्वविद्यालय पीजी प्रवेश वेबसाइट पर प्रदर्शित दिए गए अंक डीयूएससी की पीजी खेल शिकायत निवारण समिति द्वारा अपलोड किए गए मेरिट खेल सर्टिफिकेट/दस्तावेजों के सत्यापन की अंतिम जांच के अध्यक्षीन हैं। डीयूएससी की पीजी खेल शिकायत निवारण समिति का निर्णय अंतिम होगा।
5. विभाग/केंद्र/कॉलेज खेल के आधार पर प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के दस्तावेजों का उचित रिकॉर्ड रखेगा।
6. एक उम्मीदवार को अपनी उम्र के अनुसार स्नातकोत्तर कार्यक्रम में अध्ययन की अवधि के लिए अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पात्र होना चाहिए और उसे कहीं भी अंशकालिक/पूर्णकालिक आधार पर नियोजित नहीं किया जाना चाहिए।
7. उम्मीदवार को प्रवेश के समय एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें कहा गया हो कि उम्मीदवार कॉलेज के लिए अभ्यास करेगा और भाग लेगा (यदि लागू हो) और यदि चयनित होता है तो कॉलेज/केंद्र/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित खेल प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा, ऐसा न करने पर यदि उम्मीदवार अध्ययन के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की पूरी अवधि के दौरान वचन-पत्र का उल्लंघन करता है तो कॉलेज/केंद्र/विश्वविद्यालय को प्रवेश निरस्त

करने का अधिकार है।

8. खेल सुपरन्यूमेरी कोटा के आधार पर सभी प्रवेश अनंतिम हैं और उम्मीदवार के अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों की फॉरेंसिक जांच/सत्यापन के अध्यक्ष हैं। खेल सुपरन्यूमेरी कोटा के आधार पर प्रवेश पाने के लिए गलत/फर्जी मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाण-पत्र जमा करने वाले उम्मीदवार को तीन वर्ष के लिए किसी भी विभाग/कॉलेज में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऐसे दाखिले निरस्त कर दिये जायेंगे और कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

सुपरन्युमेरी कोटा के तहत प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग मेरिट सूची घोषित की जाएगी। सुपरन्युमेरी कोटा के तहत प्रवेश से संबंधित दिशानिर्देशों और कार्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश वेबसाइट देखते रहना चाहिए। उन्हें नियमित रूप से अपने डैशबोर्ड की भी जांच करनी चाहिए।

ऐसे कार्यक्रम जिनमें सीटें विभाग और कई कॉलेजों में वितरित की जाती हैं, सुपरन्युमेरी सीटों का आवंटन केवल विभागों में किया जाएगा (उन कार्यक्रमों को छोड़कर जहां शिक्षण विभागों और कॉलेजों में किया जाता है)।

21.1: बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)

सभी कॉलेजों के प्रत्येक कार्यक्रम में कुल स्वीकृत संख्या का पांच प्रतिशत (5%) पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिए निर्धारित पात्रता और विकलांगता से संबंधित विवरण यूजी बीओआई 2024 में उल्लिखित हैं।

पीडब्ल्यूबीडी कोटा के तहत प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

01.06.2021 के बाद जारी किए गए विकलांगता प्रमाण-पत्र विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या 1736 (ई) दिनांक 05.05.2021 के अनुसार होने चाहिए और यूजीआईडी पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जाने चाहिए। हालांकि, 01.06.2021 से पहले जारी किए गए विकलांगता प्रमाण-पत्रों पर अन्य मौजूदा लागू नियमों और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग और दिल्ली विश्वविद्यालय की अधिसूचनाओं के अनुसार विचार किया जाएगा।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, 'बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति का अर्थ है निर्दिष्ट विकलांगता के न्यूनतम चालीस प्रतिशत (40%) वाला व्यक्ति, जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें वह विकलांग व्यक्ति शामिल है जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है। यह ध्यान दिया जाए कि पूर्ववर्ती विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का नंबर 1), जिसके तहत पहले विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रवेश में आरक्षण प्रदान किया गया था, अब निरस्त कर दिया गया है।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में उल्लिखित विकलांगता की निम्नलिखित निर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत आने वाले बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति [उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (जेडसी) देखें] उक्त आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

पीडब्ल्यूबीडी के तहत आरक्षण बी.पी.एड. और एम.पी.एड. कार्यक्रमों पर लागू नहीं है।

21.2: सशस्त्र बलों (सीडब्ल्यू) के कर्मियों के बच्चे/विधवाएं

प्रत्येक कार्यक्रम में सशस्त्र बलों (सीडब्ल्यू) के कर्मियों के बच्चों/विधवाओं के उम्मीदवारों के लिए पांच

प्रतिशत (5%) सीटें आरक्षित हैं।

सीडब्ल्यू कोटा के तहत प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

सीडब्ल्यू उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता और प्रमाण-पत्र की भी पुष्टि करनी होगी। सीडब्ल्यू प्राथमिकता से संबंधित विवरण के लिए, पीजी-बीओआई 2024 देखें।

ईसीसी प्रमाण-पत्र के प्रारूप के लिए (अनुबंध III देखें)। विश्वविद्यालय अतिरिक्त दस्तावेज़ मांग सकता है।

21.3 : दिल्ली विश्वविद्यालय वार्ड कोटा

विश्वविद्यालय और उसके कॉलेज के कर्मचारियों, शैक्षणिक और गैर-शिक्षण दोनों के बच्चों के लिए प्रवेश अकादमिक परिषद के संकल्प 9 ए और बी दिनांक 27.11.2020 और उसके बाद की अधिसूचना दिनांक 21.12.2020 के अनुसार किया जाएगा।

उम्मीदवार को उचित अधिकारियों द्वारा जारी वैध रोजगार प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा। प्रमाण-पत्र में माता-पिता के रोजगार की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। केवल सीएसएस (पीजी)-2024 आवेदन-पत्र के समय अपलोड किए गए प्रमाण-पत्र पर ही विचार किया जाएगा। आई-कार्ड, आधार कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कॉलेजों को वार्ड कोटा के उम्मीदवारों का आवंटन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थी की मेरिट और वरीयता क्रम के आधार पर कॉलेजों का आवंटन किया जाएगा।

21.4: अनाथ कोटा

दिल्ली विश्वविद्यालय, स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर अध्ययन के प्रत्येक कार्यक्रम में दो उम्मीदवारों (एक पुरुष और एक महिला) को प्रवेश देगा। ये दोनों सीटें सुपरन्यूमेरी होंगी।

विश्वविद्यालय की परिषद ने आगे निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय या उसके कॉलेजों में ऐसे छात्रों के प्रवेश और अध्ययन जारी रखने के लिए किए गए व्यय को विश्वविद्यालय कल्याण कोष या कॉलेज छात्र कल्याण कोष, जैसा भी मामला हो, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में से पूरा किया जाएगा।

उम्मीदवार जो अनाथ कोटा के तहत प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनाथालय/धर्मार्थ गृह या माता-पिता दोनों के मृत्यु प्रमाण-पत्र से प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा।

विश्वविद्यालय की अधिसूचना संख्या Acad./Orfan Quota/2024-25/10 दिनांक 16 जनवरी, 2024 के अनुसार-1. अनाथ कोटा के तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करना होगा:-

- i. प्रवेश शुल्क-रु. 10.00
- ii. परीक्षा शुल्क-रु. 10.00
- iii. छात्रावास शुल्क-रु. 10.00
- iv. छात्रावास आवास का लाभ उठाने वाले छात्रों को वास्तविक मेस शुल्क का भुगतान करना होगा।

बोर्डों की समतुल्यता

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू)/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)/मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों के परीक्षा निकायों से संबंधित उम्मीदवारों के संबंध में विभागों/केंद्रों/कॉलेजों में सभी पीजी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन शिक्षा विभाग (एमओई) को 13.01.2005 के विश्वविद्यालय परिपत्र पत्र में उल्लिखित निम्नलिखित सिफारिशों के अनुसार विचार किया जाएगा।

विश्वविद्यालय के विभाग/केंद्र/कॉलेज, जहां भी आवश्यक हो, संबंधित उम्मीदवारों को भारतीय विश्वविद्यालय संघ/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/एआईसीटीई/स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद से प्रमाणित उनकी डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र की मान्यता/समतुल्यता (सीओबीएसई) विभाग/कॉलेज में प्रवेश के उद्देश्य से प्राप्त करने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा, डिग्री/प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा की समकक्षता के मामलों को आगे के विचार और पुष्टि के लिए विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के समक्ष रखा जा सकता है। विश्वविद्यालय द्वारा पहले से मान्यता प्राप्त/समकक्ष प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री को आगे सत्यापन के लिए नहीं भेजा जाएगा।

जो अभ्यर्थी समय-समय पर समतुल्यता समिति द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालयों/बोर्डों की विभिन्न डिग्री/स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें नियमित रूप से पात्र माना जाएगा। केवल उन उम्मीदवारों के मामले जो एआईयू/यूजीसी/भारत में स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई)/एमओई द्वारा मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों की सूची में नहीं आते हैं, उन्हें व्यक्तिगत आधार पर विश्वविद्यालय को भेजा जाएगा।

आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची

उम्मीदवारों को आवेदन करते समय (जैसा लागू हो) प्रासंगिक प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी और विभाग/केंद्र/कॉलेज में प्रत्यक्ष सत्यापन के समय मूल प्रमाण-पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

1. उम्मीदवार का फोटो. उम्मीदवार का चेहरा 80% दिखाई देना चाहिए। फोटोग्राफ सीयूईटी (यूजी)-2024 फॉर्म से मेल खाना चाहिए।
2. अभ्यर्थी के हस्ताक्षर. हस्ताक्षर सीयूईटी (यूजी)-2024 फॉर्म से मेल खाना चाहिए।
3. दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र या जन्मतिथि का प्रमाण। जन्मतिथि सीयूईटी (यूजी)-2024 फॉर्म से मेल खानी चाहिए।
4. अर्हकारी डिग्री परीक्षा की मार्कशीट। मार्कशीट में उम्मीदवार का नाम सीयूईटी (यूजी)-2024 फॉर्म से मेल खाना चाहिए।
5. सक्षम जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/सीडब्ल्यू/पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण-पत्र (उम्मीदवार के नाम पर)। एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/सीडब्ल्यू/पीडब्ल्यूबीडी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार का नाम उसके संबंधित स्कूल बोर्ड योग्यता प्रमाण-पत्र और सीयूईटी (पीजी)-2024 में दिखाई देने वाले नाम से मेल खाना चाहिए। इसी तरह, उसके माता-पिता 'प्रमाण-पत्रों के दोनों सेटों में नाम मेल खाने चाहिए।
6. ओबीसी-गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र (उम्मीदवार के नाम पर) सक्षम जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जिसमें जाति <http://ncbc.nic.in> द्वारा जारी ओबीसी केंद्रीय सूची में है। ओबीसी-नॉन-क्रीमी लेयर के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार का नाम उस नाम से मेल खाना चाहिए जो उसके संबंधित स्कूल बोर्ड योग्यता प्रमाण-पत्र और सीयूईटी (यूजी)-2024 में दिखाई देता है; इसी तरह, माता-पिता के नाम प्रमाण-पत्रों के दोनों सेटों में मेल खाने चाहिए। आय प्रमाण-पत्र 31 मार्च, 2024 के बाद जारी किया गया होना चाहिए। ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र का निर्धारित प्रारूप दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश वेबसाइट और अनुबंध III पर दिया गया है।
7. उम्मीदवार को प्रमाणित करने वाले सक्षम जारीकर्ता प्राधिकारी से ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र (उम्मीदवार के नाम पर) इस श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा कर सकता है। इस श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार का नाम उसके संबंधित स्कूल बोर्ड योग्यता प्रमाण-पत्र पर दिखाई देने वाले नाम से मेल खाना चाहिए; इसी तरह, उसके माता-पिता के नाम प्रमाण-पत्रों के दोनों सेटों में मेल खाने चाहिए। आय प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2024 के बाद जारी किया जाना चाहिए। प्रमाण-पत्र के निर्धारित प्रारूप के लिए अनुबंध III देखें।
8. खेल अधिसंख्य कोटा के माध्यम से प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवारों को अपेक्षित प्रमाण-पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां अपलोड करनी होंगी और मांगे जाने पर प्रासंगिक आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. बी.पी.एड. और एम.पी.एड. में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित अपलोड करना होगा (अध्याय 19 में विवरण):
 - क) अनुबंध III में दिए गए प्रारूप के अनुसार मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र।
 - ख) तीन तक खेल प्रवीणता प्रमाण-पत्र ।
10. पीडब्ल्यूबीडी विकलांगता प्रमाण-पत्र उम्मीदवार के नाम पर किसी मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किया गया होना चाहिए, जिसमें उम्मीदवार की फोटो होनी चाहिए (प्रमाण-पत्र के निर्धारित प्रारूप के लिए अनुबंध III देखें)। 01.06.2021 के बाद यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण-पत्र राजपत्र अधिसूचना संख्या 1736 (ई) दिनांक 05.05.2021 के अनुरूप होने चाहिए। तथापि, 01.06.2021 से पहले जारी किए गए विकलांगता प्रमाण-पत्र, विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण विभाग और दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य मौजूदा लागू नियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार माने जाएंगे।
11. सीडब्ल्यू श्रेणी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को शैक्षिक रियायत प्रमाण-पत्र (ईसीसी), (उम्मीदवार के नाम पर) उस प्रारूप में अपलोड करना होगा जिसमें प्राथमिकता स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो। प्रमाण-पत्र के निर्धारित प्रारूप के लिए अनुबंध III देखें।
12. जो उम्मीदवार दिल्ली विश्वविद्यालय वार्ड सुपरन्यूमेरी कोटा के तहत प्रवेश लेना चाहता है, उसे उचित अधिकारियों द्वारा जारी अपने माता-पिता का वैध रोजगार प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा। केवल सीएसएस (पीजी) आवेदन-पत्र में अपलोड किए गए रोजगार प्रमाण-पत्र पर ही विचार किया जाएगा। आई-कार्ड, आधार कार्ड और/या कोई अन्य दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किया जाएगा।
13. उम्मीदवार जो अनाथ कोटा के तहत प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनाथालय/धर्मार्थ गृह या माता-पिता दोनों के मृत्यु प्रमाण-पत्र से प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा।
14. जिन उम्मीदवारों ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी योग्यता डिग्री उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें 31 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले जारी चयनित पात्रता मानदंड के अनुसार माइग्रेशन सर्टिफिकेट/अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट/दिल्ली विश्वविद्यालय आईडी की स्कैन की गई कॉपी जमा करनी होगी।
15. जिन उम्मीदवारों के परिणाम सीएसएस (पीजी) 2024 आवेदन-पत्र बंद होने की अंतिम तिथि तक घोषित नहीं किए गए हैं, वे न्यूनतम पात्रता मानदंड (दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजी-बीओआई 2024-25 में बताए गए) को पूरा करने का एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेंगे, अर्थात् 31 अक्टूबर 2024 को या उससे पहले योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करना।
16. जो महिला उम्मीदवार एनसीडब्ल्यूईबी के पीजी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहती हैं, उन्हें अपने निवास के प्रमाण के रूप में वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड जमा करना होगा। दस्तावेज़ पर उम्मीदवार का नाम अंकित होना चाहिए।

उम्मीदवार अपने द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण-पत्र की गुणवत्ता और प्रामाणिकता के लिए उत्तरदायी होंगे। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए कि अपलोड किए गए

दस्तावेज़/प्रमाण-पत्र प्रामाणिक और सटीक हैं। उम्मीदवार मांगे गए दस्तावेज़/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे। बाद के चरण में आवश्यक किसी भी प्रत्यक्ष सत्यापन के पूरा होने पर विभाग/केंद्र/कॉलेज द्वारा सभी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज़ उम्मीदवार को वापस कर दिए जाएंगे।

यदि मूल प्रमाण-पत्र अंग्रेजी/हिंदी में नहीं हैं, तो दस्तावेज़ों के सत्यापन के दौरान ऐसे प्रमाण-पत्रों के अंग्रेजी/हिंदी संस्करण/अनुवाद की आवश्यकता होगी, जो पिछले संस्थान के प्राचार्य/निदेशक या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित हो।

प्रमाण-पत्र प्रारूप

अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाण-पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश _____ के जिला/मंडल* _____ के श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ पुत्र/पुत्री _____ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* _____ के अंतर्गत आते हैं:-

- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
 - * संविधान (अनुसूचित जनजातिय) आदेश, 1950
 - * संविधान (अनुसूचित जातियां) (केंद्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951
 - * संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (केंद्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951
- [अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश) 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा संशोधित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002]
- * संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956;
 - * संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित;
 - * संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962; *संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962;
 - * संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964; *संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967;
 - * संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968; *संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968; *संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970;
 - * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978;
 - * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978;
 - * संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989;
 - * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990;
 - * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991;
 - * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991.

2. # यह प्रमाण-पत्र _____ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के जिला/मंडल* _____ के गांव/कस्बा* _____ के श्री/श्रीमती* _____, पिता/माता*/श्रीमती/कुमारी* श्री _____ को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _____ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* से संबंधित है, जो दिनांक _____ द्वारा जारी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ और/या* उनका/उनकी* परिवार आमतौर पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश* _____ के _____ के गांव/कस्बा _____ में रहता है।

स्थान: _____

हस्ताक्षर: _____

दिनांक: _____

पद: _____

(कार्यालय की मुहर)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* _____

* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं।

एससी/एसटी व्यक्तियों के मामले में लागू जो दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से स्थानांतरित हुए हैं।

महत्वपूर्ण टिप्पणी

यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करता है" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी:

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उपविभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अपर सहायक आयुक्त।
2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हों।
4. उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
5. प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)।
6. किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ओबीसी-एनसीएल प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ पुत्र/पुत्री* श्री/श्रीमती* _____
गांव/कस्बा* _____ जिला/मंडल* _____ राज्य में _____ समुदाय से संबंधित है जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है:

- (i) भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I संख्या 186 दिनांक 13/09/93 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी(सी) दिनांक 10/09/93.
- (ii) भारत के राजपत्र असाधारण भाग 1 खंड I संख्या 163 दिनांक 20/10/94 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/9/94-बीसीसी दिनांक 19/10/94.
- (iii) भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I संख्या 88 दिनांक 25/05/95 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/7/95-बीसीसी दिनांक 24/05/95.
- (iv) संकल्प संख्या 12011196/94-BCC दिनांक 9/03/96.
- (v) भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड 1 संख्या 210 दिनांक 11/12/96 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/44/96-बीसीसी दिनांक 6/12/96.
- (vi) संकल्प संख्या 12011/13/97-BCC दिनांक 03/12/97.
- (vii) संकल्प संख्या 12011/99/94-BCC दिनांक 11/12/97.
- (viii) संकल्प संख्या 12011/68/98-BCC दिनांक 27/10/99.
- (ix) भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड 1 संख्या 270 दिनांक 06/12/99 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/88/98-बीसीसी दिनांक 6/12/99.
- (x) भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I संख्या 71 दिनांक 04/04/2000 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/36/99-बीसीसी दिनांक 04/04/2000.
- (xi) भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I संख्या 210 दिनांक 21/09/2000 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/44/99-बीसीसी दिनांक 21/09/2000.
- (xii) संकल्प संख्या 12015/9/2000-BCC दिनांक 06/09/2001.
- (xiii) संकल्प संख्या 12011/1/2001-BCC दिनांक 19/06/2003.
- (xiv) संकल्प संख्या 12011/4/2002-BCC दिनांक 13/01/2004.
- (xv) भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I संख्या 210 दिनांक 16/01/2006 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/9/2004-बीसीसी दिनांक 16/01/2006.
- (xvi) भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I संख्या 67' दिनांक 12/03/2007 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/14/2004-बीसीसी दिनांक 12/03/2007.
- (xvii) संकल्प संख्या 12015/2/2007-BCC दिनांक 18/08/2010.
- (xviii) संकल्प संख्या 12015/13/2010-BCC दिनांक 08/12/2011.

श्री/श्रीमती/सुश्री और/या उसका परिवार आमतौर पर राज्य के जिले/मंडल में रहता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जी.एम. संख्या 36012122/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 08/09/93 जिसे कार्यालय जापन संख्या 36033/3/2004 स्थापना (Res.) दिनांक 09/03/2004 के द्वारा संशोधित किया गया है, और आगे कार्यालय जापन संख्या 36033/3/2004-स्था. (Res.) दिनांक 14/10/2008 द्वारा संशोधित किया गया है की अनुसूची के कॉलम 3 में या भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचना में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।

दिनांक:

जिलाधिकारी प्रथम

उपायुक्त/कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी

मुहर

* राज्यवार ओबीसी की केंद्रीय सूची पर नवीनतम दिशानिर्देशों और अपडेट के लिए <http://www.ncbc.nic.in> देखें।

** कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं।

*** जैसा कि अनुबंध में सूचीबद्ध है (फॉर्म-ओबीसी-एनसीएल के लिए)

**** प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना होगा, जिसमें उम्मीदवार की जाति ओबीसी के

रूप में उल्लिखित है।

टिप्पणी:

क. यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्यतः निवास' का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

ख. जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दर्शाए गए हैं:

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/उपविभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अपर सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो और
- (iv) उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार रहता है

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र

सरकार

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा तैयार किया जाने वाला परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या _____

दिनांक _____

वर्ष _____ के लिए वैध

- यह प्रमाणित किया जाता है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के _____ पिन कोड वाले गांव/गली _____ डाकघर जिले के स्थायी निवासी श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी, जिनकी फोटो नीचे सत्यापित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं, क्योंकि उसके "परिवार" की कुल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है*:
 - 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;
 - 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
 - अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
 - अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
- श्री/श्रीमती/कुमारी उस जाति से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

अधिकारी की मुहर के साथ हस्ताक्षर _____

नाम _____

पद _____

आवेदक का नवीनतम
पासपोर्ट आकार का
सत्यापित फोटो

उल्लिखित परिवारों की आय और संपत्ति को
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में तहसीलदार के पद से नीचे के
अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा।

*टिप्पणी 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, आदि।

**टिप्पणी 2: इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन और उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं।

***टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति स्वामित्व परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में एक "परिवार" द्वारा रखी गई संपत्ति को जोड़ दिया गया है।

शैक्षिक रियायत प्रमाण-पत्र (ईसीसी)

(उचित लेटर हेड पर पूरा पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी के साथ)

कार्यालय _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री _____ निवासी _____
(नंबर _____) का बेटा/बेटी है।

ऊपर नामित अधिकारी/जेसीओ/ओआर _____ :

प्राथमिकता-I

_____ के दौरान _____ पर कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाएं/ आश्रित;

प्राथमिकता-II

_____ के दौरान _____ पर कार्रवाई में विकलांगों के बच्चे और सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के कारण सेवा से बाहर कर दिया गया।

प्राथमिकता-III

रक्षा कर्मियों की विधवाएं/बच्चे जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई और मृत्यु का कारण सैन्य सेवा है।

प्राथमिकता-IV

सेवा के दौरान विकलांग हो गए रक्षा कर्मियों के बच्चे और सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के कारण बाहर हो गए।

प्राथमिकता-V

वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुलिस बलों के कर्मियों सहित सेवारत/पूर्व सैनिक कर्मियों के बच्चे;

- i. परमवीर चक्र
- ii. अशोक चक्र
- iii. महावीर चक्र
- iv. कीर्ति चक्र
- v. वीर चक्र
- vi. शौर्य चक्र
- vii. वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक/वीरता के लिए राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक
- viii. सेना, नौ सेना, वायु सेना पदक
- ix. मेशन-इन-डिस्पैचिज
- x. वीरता के लिए पुलिस पदक/अग्निशमन सेवाओं के लिए वीरता पदक/वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक।

प्राथमिकता-VI

भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे

प्राथमिकता-VII

पत्नियाँ:

- i. सैन्य कार्रवाई में अक्षम और सेवा से बाहर कर दिए गए रक्षा कर्मिक
- ii. सेवा के दौरान विकलांग हुए और विकलांगता के कारण सैन्य सेवा बाहर हुए रक्षा कर्मिक।
- iii. भूतपूर्व सैनिक और सेवारत कर्मिक जो वीरता पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं।

प्राथमिकता-VIII

सेवारत कर्मिकों के बच्चे

प्राथमिकता-IX

सेवारत कार्मिकों की पत्नियाँ

श्री/सुश्री/श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____ अधिकारी/जेसीओ/ओआर, प्राथमिकता
संख्या _____ के तहत सशस्त्र बल श्रेणी के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए शैक्षिक रियायत के लिए पात्र हैं।

संख्या: _____ दिनांक: _____

मुहर <रबड़ की मोहर >नाम और पदनाम के साथ

(हस्ताक्षर)

बेंचमार्क विकलांगता प्रमाण-पत्र वाले व्यक्ति

प्रपत्र-II

विकलांगता प्रमाण-पत्र

(अंगों के विच्छेदन या पूर्ण स्थायी पक्षाघात के मामलों में और अंधापन के मामलों में)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

विकलांग व्यक्ति का
हालिया पासपोर्ट
आकार का प्रमाणित
फोटो (केवल चेहरा
दिखाई दे)।

प्रमाण-पत्र _____ दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/सुश्री _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____ आयु
_____(दिनांक/माह/वर्ष), पुरुष/महिला _____ पंजीकरण संख्या _____ स्थायी निवासी मकान नंबर
_____ वार्ड/गांव/गली _____ डाकघर _____ जिला _____ राज्य _____, जिनकी फोटो ऊपर
लगी है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:

1. वह निम्नलिखित का मामला है:

क. लोकोमोटर विकलांगता

ख. अंधापन

(कृपया जो लागू हो उस पर निशान लगाएं)

2. उसके मामले में निदान _____ है

3. दिशा-निर्देशों (निर्दिष्ट किया जाए) के अनुसार उसके _____ (शरीर का हिस्सा) के संबंध में उसे _____% (आंकड़े में)
_____ प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी शारीरिक हानि/अंधापन है।

4. आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज का नाम	जारी करने की तिथि	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और सील)

(उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है।)

शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विभाग

(अंतर-विषयक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय) दिल्ली विश्वविद्यालय, सी/ओआईजीआईपीईएसएस, बी-ब्लॉक, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018

वेबसाइट: www.dudpess.du.ac.in ईमेल: dudpess1@gmail.com

वेबसाइट: www.igipess.du.ac.in ईमेल: principal@igipess.du.ac.in

बी.एससी. के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्म (पीई, एचई और एस).बी.पी.एड./एम.पी.एड./प्रवेश सत्र के लिए पाठ्यक्रम (2024-25) बी.एससी.

(पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से अपेक्षित चिकित्सा प्रमाण-पत्र)

1. पाठ्यक्रम का नाम.....
2. नाम:.....
3. आयु और लिंग.....
4. पिता का नाम.....
5. माता का नाम.....
6. नाड़ी:.....
7. बी.पी.:.....
8. वजन:.....
9. लंबाई:.....
10. छाती का घेरा: सामान्य और विस्तारित:.....
11. सीवीएस:.....
12. छाती:
13. पेट:
14. आँख: (i) रंग दृष्टि (ii) दृश्य तीक्ष्णता.....
(क) चश्मे के बिना (ख) चश्मे के साथ
15. श्री/सुश्री..... की सावधानीपूर्वक व्यक्तिगत जांच के बाद

मैं यहां प्रमाणित करता हूँ कि वह चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ है और किसी विकृति/विकलांगता से पीड़ित नहीं है

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर

(मुहर, पंजीकरण संख्या, मोबाइल नं.)

(चिकित्सा अधिकारी के पास न्यूनतम एम.बी.बी.एस. डिग्री होनी चाहिए)

माइग्रेशन प्रमाण-पत्र के लिए वचनबद्धता

मैं, श्री/सुश्री पुत्र/पुत्री पंजीकरण/नामांकन संख्या (अंतिम विश्वविद्यालय), शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए विभाग/केंद्र/कॉलेज में कार्यक्रम के लिए आवेदन किया है। मैं निम्नलिखित वचन-पत्र प्रस्तुत करता हूँ:

मैं वचन देता हूँ कि मेरा प्रवेश 31 अक्टूबर, 2024 से पहले मेरे माइग्रेशन प्रमाण-पत्र को जमा करने के अध्यक्षीन है। यदि मैं 31 अक्टूबर, 2024 तक अपना माइग्रेशन प्रमाण-पत्र जमा करने में असमर्थ रहा, तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए किसी भी समानता का दावा नहीं करूंगा। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं इस तथ्य से अवगत हूँ कि मेरा प्रवेश मेरे मूल प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अध्यक्षीन है, अन्यथा मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

इसके अलावा, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मैं नियमों और विनियमों का पालन करूंगा और मुझ पर आपराधिक मुकदमा चलाने, जैसा भी उचित समझा जाए, के लिए मैं उत्तरदायी हूँ।

मैं, एतद्वारा यह भी वचन देता हूँ कि यदि मुझे आवंटित सीट गलत प्रमाण-पत्र जमा करने/प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवंटित समय अवधि के भीतर प्रमाण-पत्र जमा न करने के कारण निरस्त कर दी जाती है, तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के निर्णय को अंतिम रूप में स्वीकार करूंगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

सरकार द्वारा जारी आईडी दस्तावेज़ संख्या (आधार/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आदि):

स्थान:

दिनांक:

न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करने का वचन-पत्र

मैं, श्री/सुश्री पुत्र/पुत्री पंजीकरण/नामांकन संख्या (अंतिम विश्वविद्यालय) के साथ, ने विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए दिल्ली विभाग/केंद्र/महाविद्यालय में कार्यक्रम के लिए स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए आवेदन किया है। मैं निम्नलिखित वचन-पत्र प्रस्तुत करता हूँ:

मैं वचन देता हूँ कि मेरी योग्यता डिग्री के परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं।

मैं वचन देता हूँ कि मैंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अपनी योग्यता डिग्री के सभी पांच सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लिए हैं

मैं वचन देता हूँ कि मेरा प्रवेश पीजी-बीओआई 2024-25 में बताई गई न्यूनतम पात्रता को पूरा करने के अध्यक्षीन है:

“यूआर/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए, न्यूनतम पात्रता कार्यक्रम के अनुसार योग्यता परीक्षा में 50% अंक या समकक्ष ग्रेड है- विशिष्ट पात्रता एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए, न्यूनतम पात्रता है कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता के अनुसार योग्यता परीक्षा में कुल मिलाकर 45% अंक या समकक्ष ग्रेड.

मैं वचन देता हूँ कि मैं जिस विभाग में प्रवेश लूंगा उसे न्यूनतम पात्रता पूरी करने वाली मार्कशीट/डिग्री 31 अक्टूबर, 2024 तक जमा कर दूंगा। यदि मैं 31 अक्टूबर 2024 तक अपनी मार्कशीट/डिग्री जमा करने में असमर्थ रहा तो, दिल्ली विश्वविद्यालय मेरा प्रवेश निरस्त कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए किसी समानता का दावा नहीं करूंगा।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं इस तथ्य से अवगत हूँ कि मेरा प्रवेश मेरे मूल प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अध्यक्षीन है, अन्यथा मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

इसके अलावा, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मैं नियमों और विनियमों का पालन करूंगा और मेरे ऊपर, आपराधिक मुकदमा, जैसा भी उचित समझा जाए, चलाने के लिए मैं उत्तरदायी हूँ।

मैं एतद्वारा यह भी वचन देता हूँ कि यदि मुझे आवंटित सीट गलत प्रमाण-पत्र जमा करने/प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवंटित समय अवधि के भीतर प्रमाण-पत्र जमा न करने के कारण निरस्त कर दी जाती है, तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के निर्णय को अंतिम रूप में स्वीकार करूंगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

सरकार द्वारा जारी आईडी दस्तावेज़ संख्या (आधार/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/आदि):

स्थान:

दिनांक:



दिल्ली विश्वविद्यालय

पत्राचार के लिए पता

प्रवेश शाखा

गेट नंबर 04

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली 110007

वेबसाइट

www.admission.uod.ac.in

कार्यालय फ़ोन नंबर:

011-27666073

कॉमन सीट आवंटन प्रणाली 25.04.2024 को प्रकाशित

कवर फोटो पिक्सेल्स-द फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी सोसाइटी ऑफ हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा

